खण्ड-244, अंक-6
गुरूवार, 5 पौष, शक संवत् 1885
(26 दिसम्बर, 1963 ई0)

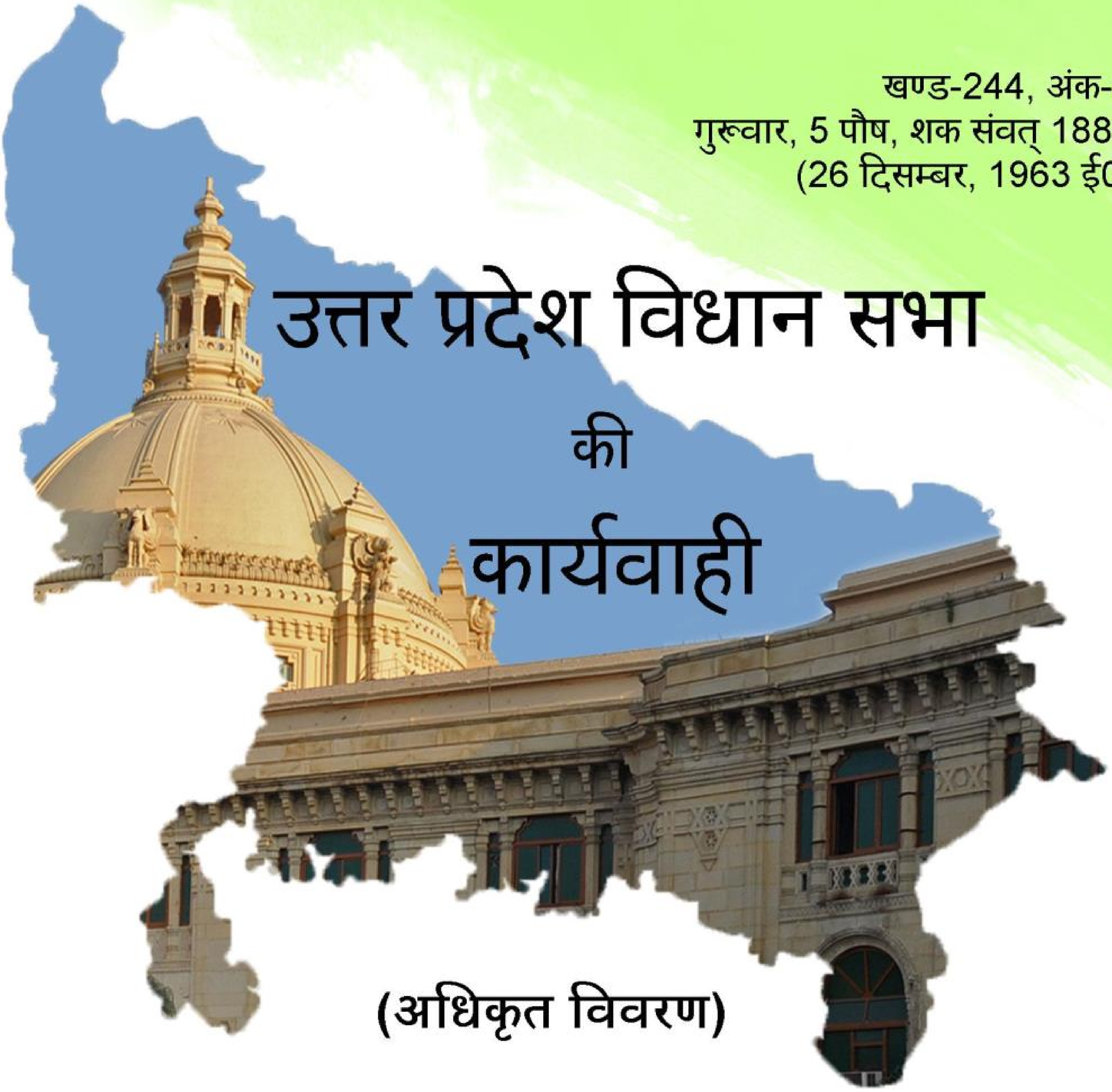

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७१५–७१८
कार्य-सूची में प्रश्नों के न होने के सम्बन्ध में आपत्ति	७१८
समाचार-पत्रों में प्रकाशित गुड़ तथा खांडसारी की निकासी पर रोक हटाने सम्बन्धी समाचार के सम्बन्ध में जानकारी	७१९–७२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	७२०
उप-निर्वाचनों में कथित सरकारी साधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७२०–७२२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (जारी) ..	७२४–७५०
श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	७५०
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (जारी) ..	७५०–७५२
श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी	७५२
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	७५२–७६३
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	७६३–७७५
सदन के सत्रावसान सम्बन्धी सूचना	७७५
सदन को आहूत करने के संबंध में सूचना	७७५

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२९

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमदज अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊबल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (श्री टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

कार्य-सूची में प्रश्नों के न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न पूछने का हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार के द्वारा उनका उत्तर प्रत्येक दिन दिया जाता है। हम प्रश्नों द्वारा शासकीय अनियमितताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और उससे शासन की बुराइयां दूर होती हैं। आज की सूची देखने से, श्रीमन्, ऐसा ज्ञात होता है कि आज के लिये कोई प्रश्न इस सूची में नहीं है। आप प्रक्रिया नियमावली के नियम ३२ को देखें। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें प्रत्येक उपवेशन का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा।

लेकिन आज ऐसा नहीं है। शनिवार के लिये अगर बैठक होती है तो उस दिन प्रश्न नहीं लिये जाते। इसके अलावा एक बात और है कि पिछले दिनों में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनको छठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया है। आप पांचवें गुरुवार के प्रश्न संख्या ४४,१११ और १४८ को देखने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

असल में बात यह है कि २४ तारीख को काफी देर पश्चात् आज की बैठक के लिये तय किया गया था। उस समय प्रावीजनल प्रोग्राम छप नहीं सकता था। आपने जो नियम पढ़ा है उसमें ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।" इसलिए मैंने उसी दिन यह घोषणा कर दी थी कि आज प्रश्न नहीं होंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

फिर यह १९ तारीख के ऐजेन्डे में छठवें गुरुवार के लिये प्रश्न स्थगित क्यों किये गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उस दिन कोई प्रश्न नहीं आता है तब वह दूसरे दिन के लिये स्थगित हो ही जाता है। लेकिन चूंकि ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिये आज के लिये मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि प्रश्न नहीं रखे जायेंगे।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित गुड़ तथा खांडसारी की निकासी पर रोक हटाने सम्बन्धी समाचार के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, 'नवभारत टाइम्स' दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ में लखनऊ की एक यह न्यूज निकली है कि सरकार ने गुड़ और खांडसारी की निकासी पर से रोक हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है। दूसरे अखबार में भी ऐसा ही समाचार है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी अखबार के समाचार पर यहां कोई चीज नहीं लायी जा सकती।

श्री कल्पनार्थसिंह—

ये दोनों अखबार दिल्ली के हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी आजकल दिल्ली में ह। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी अखबार के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उसमें निकली कोई खबर सही है अथवा गलत ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

इस समाचार से गवर्नमेंट पालिसी का सम्बन्ध है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की पालिसी कुछ चेंज हो रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हमारी पालिसी जो अभी तक रही है वही है और वह इजहार में है। गवर्नमेंट आफ इंडिया क्या कर रही है उसकी हमें सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है, लेकिन यह अखबार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। यह दोहरी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में कौन-सी बात सत्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अखबार में क्या है, इस कान्ट्रोवर्सी में तो मैं पड़ता नहीं हूं, लेकिन हमारी जो नीति है उसी के अनुसार यह बिल इस हाउस में लाया जा रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय उपनेता सदन, नेता सदन से इस बारे में बातचीत करके बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नमेंट की ओर से माननीय उपनेता सदन जो कह रहे हैं उसको मानिये। अखबार में तो गलत और सही दोनों तरह की बातें निकलती हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जो विधान सभा द्वारा १९ दिसम्बर, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २४ दिसम्बर, १९६३ को, वापस प्राप्त हो गया है।

उप-निर्वाचनों में कथित सरकारी साधनों के प्रयोग के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी की आयी है। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें कुछ अन्याय हो रहा है, सरकारी पक्ष के आदमी इसमें कुछ कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आप उसको पढ़ कर तो सुना दें। गुप्ता जी के दौरे का इन्तजाम सरकारी अधिकारी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी तो कहा जाता है कि पढ़ कर सुना दिया जाय और कभी कहा जाता है कि आपने

पढ़ कर सुना दिया, इसलिये झगड़ा होता है । मैंने उसका सारांश बता दिया कि कोई इलेक्शंस के बारे में शिकायत है । सरकारी अधिकारी इन्डायरेक्टली मदद कर रहे हैं । तो यह चीज यहां नहीं हो सकती । इलेक्शन पिटीशन के समय इसको कहा जा सकता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

गुप्ता जी डी०एम० और बी०डी०ओ० की गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं । ये चुनाव दो स्थानों पर हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो इलेक्शन पिटीशन का विषय है उस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इसके मानी हैं कि सरकार प्राइवेटली सरकारी साधनों का उपयोग कराती रहे और हम इलेक्शन पिटीशन में जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इलेक्शन पिटीशन में यह कोर्ट का विषय बनेगा । इसलिये इसे एलाऊ नहीं किया जा सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम इस पर वाद-विवाद चाहते हैं कि इसको रोकने के लिये कदम उठाये जायं । जो कैंडिडेट हारेगा वह इलेक्शन पिटीशन में जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर पहले से ही रूलिंग्स हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मौदहा के इलेक्शन में इस विषय पर वाद-विवाद हुआ था जब कि सरकारी अफसर अपना प्रभाव इस्तेमाल करते थे । गोरखपुर और दूसरी जगह सूचना यही मिली है कि सरकारी अधिकारी मूल रूप से सहायता दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रस्टिज का क्वेश्चन बना लिया । लिहाजा इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा । आपने यह जो व्यवस्था दी कि जो अपील का विषय बन सकता है उस पर यहां वादविवाद नहीं हो सकता तो कौन से ऐसे विषय हैं जो अपील के विषय नहीं हो सकते ? यह बड़ा महत्व का प्रश्न है और इस पर विचार करना आवश्यक है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं निवेदन करूंगा कि समय व्यर्थ जा रहा है और जो माननीय सदस्य उधर के बैठने वाले हैं अगर कोई ऐसी बात होती है तो वे आगे चल कर पिटीशन दायर कर सकते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय सदस्य ने कहा कि सदन का समय व्यर्थ जा रहा है तो इसका निर्णय करने के लिये आप कुर्सी पर बैठे हैं, क्या मंत्री इसे तय करेंगे ? यह सदन का अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह यही कहना चाहते हैं कि यह प्रश्न इस समय नहीं उठ सकता ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

टम्बेश्वरप्रसाद जी ने जो नोटिस दिया है उसमें ला एंड आर्डर इंवाल्व है । ला एंड आर्डर मेनटेन करना इस सरकार का कर्त्तव्य है । वहां के मतदाताओं के अन्दर बड़ा घोर असंतोष है कि यह सरकार अपने कैंडिडेट की सारे साधनों के बल पर मदद कर रही है । ऐसी हालत में सरकार की पालिसी इस संबंध में निश्चित होना चाहिये और सरकार पर कुछ लगाम होनी चाहिये क्योंकि सरकारी कर्मचारी वहां के उम्मीदवार को तंग करते हैं ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

यह तो प्रोसीजरल चीज है । इसे आना चाहिये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

धर्मसिंह जी ने जो आक्षेप किया कि सदन का समय व्यर्थ जा रहा है तो जो कुछ यहां कहा गया वह आपकी आज्ञानुसार कहा गया । इसके मानी यह हैं कि जो आज्ञा आपने दी, जो हाउस में कार्यवाही हुई वह व्यर्थ थी । तो यह आक्षेप है आप पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में माननीय खेर जी की अध्यक्ष पद से व्यवस्था हो चुकी है कि जो विषय निर्वाचन याचिका में उठाया जायगा वह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बन सकता । यह प्रश्न रामसुन्दर पांडेय जी ने उठाया था ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या विषय था ? इलेक्शन के बाद का था या पहले का था ?

श्री उपाध्यक्ष—

बाद से और पहले से क्या फर्क पड़ता है ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

फर्क पड़ता है । इलेक्शन के बाद कोई विषय उठाया जाता है तो वह याचिका का विषय बन जाता है । लेकिन इलेक्शन के पहले के लिये भी अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो जितनी धांधली सरकार चाहे कर सकती है । यह तो रूल ऐसा होगा जिससे बहुत हानि होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पूरा पढ़ कर सुना दूं । यह चुनाव के पहले का है । ८ मार्च, १९५६ को श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूर्वी जिलों में पंचायत चुनावों में अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

इसमें सरकार सीधी इन्वाल्व्ड है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, इसी सदन में जिस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मौदहा में चुनाव लड़ रहे थे उस समय दो डकैत फ़तेहगढ़ से छोड़े गये एलेक्शन के लिये । वह प्रश्न भी त्रिलोकीसिंह जी ने यहां उठाया था । उस में आप देख लें कि खेर साहब ने क्या रूलिंग दी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे यह बताया जा रहा है कि मौदहा वाले एलेक्शन में यह प्रश्न नहीं था । उसमें कुछ प्रिजनर्स के रिलीज की बात थी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, अभी आप ने कहा कि मुझे यह बताया जा रहा है तो क्या यह नियमानुकूल बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियमानुकूल है, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा निर्णय यह है कि जो एलेक्शन पेटीशन का विषय बन सकता है उसके सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता।

(व्यवधान)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

आपने यह व्यवस्था दी, हम सब को बड़ा क्षोभ है क्योंकि यह महत्व का प्रश्न चल रहा है। आप की रूलिंग के विरोध में हम दो मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, अगर वहां झगड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस कुछ नहीं करेगा।

वह तो ला ऐंड आर्डर की बात है। जो कानून है वह चलेगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जो विषय उठाया गया इसमें जो रूलिंग आपने दी वह पंचायतों के संबंध में थी। पंचायतों में पार्टी की बेसिस पर . . .

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के बाद अब मैं नहीं सुन सकता।

श्री रघुनाथसिंह—

आपकी इस रूलिंग के विरोध में हम अपनी पार्टी के साथ वाक आउट करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपने जो पिछली रूलिंग दी वह शिरोधार्य है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक व्यवस्था दे चुका। पंचायतों के और इस चुनाव में मेरी समझ में कोई फर्क नहीं है।

श्री प्रेमसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो ला ऐंड आर्डर के जिम्मेदार हैं वे ही झगड़ा कराते हैं। इसके अलावा अब मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रेमसिंह सदन का त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

खंड २* (क्रमागत)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने, उस दिन भी जबकि यह विधेयक प्रवर समिति से यहां आकर इसके ऊपर चर्चा चलाने का समय आया था, यह कहा था कि आप के नियम इस बारे में इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि प्रवर समिति से आने के बाद जब तक उसका गजट न हो जाय.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न रेज हो चुका और इस पर रूलिंग हो चुकी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं उस नियम को पढ़ देता हूं, आप व्यवस्था दे दीजिये, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इस बारे में फ़ाइनल रूलिंग हो चुकी है, इसलिए मैं इसको नहीं सुन सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप सुन लें। अभी तक आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जो चेयर पर होगा वही तो रूलिंग देगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

यह लिखी हुई प्रोसीडिंग है। आप स्वयं प्रोसीडिंग मंगा कर देख लें। आप मेरी बात सुन लें और व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस पर व्यवस्था न हुई होती तो मैं सुनता।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

इस पर जो उस समय पीठासीन अधिष्ठाता थे श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट उन्होंने अपनी स्पष्ट व्यवस्था दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा यह बात भी है कि अब इस पर इतना डिस्कशन हो चुका है, इस समय यह प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आप की बात सुन ली।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरी बात क्या है, आप जरा बता दीजिये ?

---

*२४ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ने कहा है कि गजट में छपा नहीं है, इसलिये यह पेश नहीं हो सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं नया प्वाइंट रखना चाहता हूं। आप प्रक्रिया नियमावली का नियम २०७ देखें। उसमें लिखा है :—

"*Printing and publication of report*—The Secretary shall cause every report of the Select Committee to be printed and copy of the report shall be made available for the use of every member of the House.....".

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात उठ चुकी है और व्यवस्था हो चुकी है, अब आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसका पब्लिकेशन कब हुआ यह मेरी जानकारी के लिये आप बता दें। यदि इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ तो इस पर वैसे विचार हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था हो चुकी है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय नरसिंहनारायण जी आप की आज्ञा के बगैर बोले हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अगर किसी प्वाइंट पर अपनी रूलिंग दे दें तो क्या उस की अपील भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से नहीं कर सकते?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था की कोई अपील नहीं होती।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसका पब्लिकेशन कब हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहां है कि पब्लिकेशन के बिना डिस्कशन नहीं हुआ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, क्या आप इस बात पर अपनी व्यवस्था देंगे कि क्या आप नियम के खिलाफ कोई रूलिंग दे सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई रूलिंग नहीं होती नियम के विरुद्ध। इस पर व्यवस्था हो चुकी है, लिहाजा कोई सवाल नहीं उठता।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री कल्पनाथसिंह जी ने जो संशोधन पेश किया उस पर श्री गेंदासिंह जी ने जो बातें कहीं इस संशोधन के आशय से और श्री गेंदासिंह की बहुत सारी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पर मैं एक धर्म संकट में पड़ गया। जब यह विषय यहां आया, चूंकि इस संशोधन का जो सब्सटैंस है वह तो मुझे पसन्द है, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह संशोधन आ नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि किसान के हित की रक्षा के लिए इस बात की आवश्यकता है कि सरकार से अगर हम यह तवक्को करें कि वह इन्साफ करे और किसानों के हित की रक्षा करे तो सरकार के साथ भी हमें इंसाफ करना चाहिए। इसीलिए मैं इस दुविधा में था कि चुप बैठा रहूं और यह बात सुनूं जो किसान के हित की है या यह बात कहूं कि यह संशोधन यहां नहीं पेश हो सकता। जो बिल था बिल में मूल तीन बातें थीं। एक तो पर्चेज टैक्स को बढ़ाना। एक यूनिट के डेफिनीशन में असाइंड एरिया को शामिल करना। असाइंड एरिया को शामिल करने के प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी ने नहीं माना। तो इस संशोधन के साथ बिल जो हाउस में आया उसमें महज एक बात बाकी रही टैक्स की दर और जो संशोधन माननीय कल्पनाथसिंह ने पेश किया दरअस्ल उसके भी दो भाग हैं। एक तो इकाइयों का रजिस्ट्रेशन। दूसरे इकाइयों पर पाबन्दियां। इकाइयों का रजिस्ट्रेशन सेक्शन ४ में होता है। सेक्शन ४ में उन सब इकाइयों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है जो रिजर्व एरिया में हैं और जो मूल विधेयक था उसमें इकाइयों की परिभाषा में रिजर्व एरिया के साथ असाइंड एरिया भी शामिल किया हुआ था और अगर मूल विधेयक वैसा का वैसा कायम रहता तो उसका नतीजा यह होता कि असाइंड एरिया में भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता। जब 'असाइंड एरिया' शब्द निकल गया तो अब संशोधन सेक्शन ४ में करना होगा। इस विधेयक में सेक्शन ४ नहीं है। ओरिजिनल बिल में है। यह जो स्कोप है अमेंडमेंट का उसको बढ़ाना है। इसी तरह से जब यह प्रश्न सामने आया कि गुड़ खांडसारी के लाइसेंस की कितनी सीमा हो और टैक्स कहां हो, तो यह बात सचमुच सामने आयी कि खांडसारी बनाना रोकना मकसूद है। खांडसारी राब से बनती है। गुड़ से खांडसारी नहीं बनती है। तो गुड़ शब्द का प्रयोग ही अनावश्यक था। लेकिन वह कसूर इस सरकार के दरवाजे पर नहीं रखा जा सकता। वह बहुत पीछे दस साल पहले हम यह गलती को कर चुके। जहां मैं यह बात निवेदन करता हूं वहां मैं यह भी समझता हूं कि कानूनन चाहे यह बात हो, लेकिन यह सरकार जो गांधी जी के कदमों पर चलने का दावा रखती है और जिसकी मुख्य मंत्री, बहन सुचेता जी हैं, जो कि गांधी जी के बहुत नजदीक रही हैं, वह इस अड़चन के होते हुए भी ऐसा मौका निकालेंगी कि इस कठिनाई को दूर किया जा सके।

सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ के ऊपर पाबन्दी लगाना एक बदनुमा धब्बा है सरकार के ऊपर। सरकार को उस को हटाना चाहिये। लेकिन परसों चौथे रोज सेलेक्ट कमेटी से बिल आया। इतनी जल्दी यह तवक्को करना कि सरकार ने उस काम को नहीं किया, यह मेरे ख्याल से बहुत जल्दी करना है। मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि मैं तो चीज ही क्या हूं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी खिदमात किसानों के लिए और जनता के लिए सुचेता जी से कम है। तो सुचेता जी को इस बात का पूरा एहसास मेरे ख्याल से रहेगा। उनकी नोटिस में यह बात आयी है। इसलिए डिस्कशन करके यह बात यहीं छोड़ दें इसी आशा से कि वह इस गलती को दूर कर देंगी। किसान के गुड़ बनाने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यह कहना कि किसान गुड़ तो बना सके मगर पावर क्रशर नहीं लगा सकता, यह मेरे ख्याल से बड़ा रेट्रोग्रेड स्टेप है। यह नामुनासिब बात है। एक तरफ तो कहो कि किसान की तरक्की हो, एक तरफ तो कहो कि उनकी औसत आमदनी बढ़े और दूसरी तरफ ऐसे कानून गलती से, दानिस्ता या नादानिस्ता बन जाय जिसमें किसान को अपनी पैदावार का पूरा नफा न मिले तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। किसान को अपनी प्रोड्यूस को जैसे का तैसा या उस को प्रोसेस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो वह बात इससे

मुख्तलिफ है। मैं इसको पहली बार भी निवेदन कर चुका हूं कि मैं खांडसारी का वकील नहीं हूं। मैं तो उस गरीब का वकील हूं कि जो वकील करना जानता नहीं। किसान की आवश्यकता यह है और मैं समझता हूं कि इस बात को मान लेने से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर जिले में दो एक ही किसान ऐसे होंगे जो पावर क्रशर लगा सकें। तो यह तो भूं पड़ी भलाई है, मुफ्त की नेकी है। कोई फाइनेंशियल लास होने वाला नहीं है और न ही गन्ने के डाइवर्जन का सवाल इसमें है। इसलिये किसान अपने गन्ने का गुड़ बनाये और पावर क्रशर से बनाये तो उस को लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करेगी। मैं यह कहना अनावश्यक समझता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे सदन को क्योंकि किसान के हित की रक्षा करना सरकार के भी उतने ही नजदीक की बात है जितनी कि और लोगों के। मेरे ख्याल से बिना आश्वासन के भी वह इस बात को करेंगे।

दूसरा उससे बड़ा एक पहलू है। क्या किसान को गुड़ ही बनाने की इजाजत है या खांडसारी भी बनाने की इजाजत है? खांडसारी कोई त्याज्य वस्तु है क्या कि खांडसारी न बनावे, केवल गुड़ बनावे? तो यह बात भी उसी लिस्ट की है कि जो व्यक्ति गन्ना बोये उस को अपना क्रशर लगाने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके क्रशर पर टैक्स तो है ही नहीं। क्योंकि पर्चेज टैक्स गन्ने के पर्चेज पर है। तो जो गन्ना खरीदता नहीं है उसके लिये टैक्स का सवाल पैदा नहीं होता। इसलिये खांडसारी और गुड़ जो किसान अपना क्रशर लगा कर अपना गन्ना पेर कर बनाये उस पर न लाइसेन्स होना चाहिये और टैक्स तो उस पर है ही नहीं। इस बात को सेलेक्ट कमेटी ने मान लिया जहां तक कि सेलेक्ट कमेटी के अधिकार की बात थी क्योंकि सेलेक्ट कमेटी जो इकाई की डेफीनिशन थी उसमें महज एसाइन्ड एरिया करने जा रही थी उस को शामिल नहीं किया। सेलेक्ट कमेटी इकाई की डेफिनिशन को और फर्दर लिमिट नहीं कर सकती थी। वह उसके अधिकार के बाहर की बात थी। न उस को सदन कर सकता है। सरकार चाहे तो उस बिल को अमेन्ड कर सकती है। मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसा करना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो संशोधन है उससे पूर्ण रूप से सहमत होते हुये भी यह सदन उस को स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं यह चाहता था कि किसानों के हित की रक्षा वोटों के जरिये से नहीं होनी चाहिये बल्कि किसानों के हित की रक्षा सद्भावना के संचार से होनी चाहिये। जब मैं यह बात कहता हूं तब मैं आप से यह निवेदन करूंगा यानी विरोधीदल से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये वोट से पास करने की बात नहीं है बल्कि सरकार में सद्भावना पैदा करने की बात है ताकि सरकार स्वयं उस चीज को कर दे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापस ले लिया जाय। सरकार चाहे इसके लिये आश्वासन दे और चाहे आश्वासन न दें, लेकिन मैं सरकार से आश्वासन मांगने वाला नहीं हूं। मेरा यह निवेदन है कि यह संशोधन वापस होना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पेश करना चाहता था, और आपने मुझे बुलाया भी लेकिन आपने ठाकुर फूलसिंह जी को बुला लिया और मुझसे कहा कि बैठ जाइये। मैं अब व्यवस्था का सवाल उठाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस सदन का अपमान समझता हूं कि बारबार यहां पर ऐसी स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय। मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम इस सदन के लिये, आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, आप को ज्यादा जागरूक रहना चाहिये। हम इधर जो सदस्य हैं वे जिम्मेदार पार्टी के नहीं हैं ऐसा सरकारी पक्ष से कहा जाता है कि वे लोग गैर जिम्मेदार लोग बैठे हैं और यह गैर जिम्मेदार लोग हैं किन्तु वास्तव में उधर ही गैर जिम्मेदार लोग हैं। मैं आपसे यह निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि आप व्यवस्था कम दें और हम लोगों को भी व्यवस्था कम उठाना चाहिए। और अगर आप इस तरह व्यवस्था दें तो उन को अलग किताब में लिख कर रखिये ताकि उनको किसी को पढ़ने का मौका न मिले।

*श्री कमलासिंह यादव —

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कल्पनार्थसिंह ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं अगर सरकार इस पर हर पहलू से विचार करे यानी जहां तक कानून का संबंध है, जहां तक किसानों का सम्बन्ध है और जहां तक हर मानव जीवन का सम्बन्ध है अगर इन तमाम पहलुओं पर सरकार विचार करे तो इस निर्णय पर पहुंचेगी कि इस को मान लेना चाहिये। जहां तक संविधान का प्रश्न है उस के अन्दर ४३ धारा का मैंने जिक्र किया था और ३१ का भी जिक्र किया था कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है हर तरीके पर सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों का रक्षा हर तरीके पर करे। उनकी आर्थिक दशा का सुधार करे, जो मार्डन तरीके खेती के हैं उनके आधर पर, यंत्रों के आधार पर, रिसर्च करने के बाद उनकी दशा का सुधार किया जाय। लेकिन सरकार ने जो कुछ किया है उसका नतीजा यह है कि रूरल एरिया की जो पर कैपिटा इन्कम १९५०–५१ में २०२.७७ थी वह घट कर १८३.२२ रह गयी और इसके मुकाबले में अरबन एरिया की इन्कम ६०६.१६ के स्थान पर ६७१.७२ हो गयी। तो हमारी सरकार का पहला और पुनीत कर्त्तव्य यह है कि रूरल एरिया में रहने वालों की हालत को सुधारे, जिनकी संख्या ९० प्रतिशत है उनकी इन्कम को बढ़ाया जाय। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा है। आज किसान अपनी मेहनत से गन्ना पैदा करता है, उसका वह गुड़, खंडसारी और चीनी बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से उसकी लूट मची हुई है उसका यह विधेयक एक नमूना है। उसे अपना माल बाहर भेजने की इजाजत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर ही बोलिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। केवल फूलसिंह जी की बात जरा विस्तृत रूप में बता रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान को अधिकार मिलना चाहिये कि वह अपने माल का अच्छी से अच्छी कीमत पा सके। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हालत आज यह है कि उसके पास का माल बनिया खरीद कर परमिट प्राप्त कर के बाहर भेज सकता है और उस किसान से ज्यादा फायदा उठा सकता है जब कि किसान को वह फायदा पाने का मौका नहीं मिलता।

(व्यवधान)

माननीय शान्तिप्रपन्न जी ने छेड़ दिया इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दोष इसमें उनका नहीं है। यह एक पुस्तक है चौधरी मुख्तारसिंह की। नाम है "रूरल इंडिया।" इसमें लिखा है कि:—

"When a country is open to all the other countries of the World, its markets are always controlled by the World market. The idea whether a starving man can afford to purchase food at the rate at which it is sold, is never the concern of the seller. The dealer in grain always sells his commodity to the man who gives him the highest price."

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, आप जो सवाल है, उसी पर बोलें। विषय इस समय यह नहीं चल रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

यदि आप कोई बहस न चाहते हों तो बात दूसरी है। मैं बैठ जाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसी पर कंफाइन रहें।

श्री कमलासिंह यादव—

आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, जब मिनिस्टर लोग ही यह कहेंगे डाइरेक्ट तरीके से तो फिर क्या कहा जाय, फिर हम लोग बाहर चले जायं, यह बिल पास हो जाय।

तो मैं यह कह रहा था कि इस सरकार की बनिये वाली नीति है। अगर भुखमरी हो जाय तो बनिया यह नहीं करेगा कि अपने माल को सस्ता कर दे, उसे भुखमरी से कोई मतलब नहीं। इसी तरह सरकार की भी वही हालत है। उस को तो पैसा चाहिये, चाहे कोई मरे या जिये। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मुर्गी को मार कर एक साथ इकट्ठे सोने के अण्डे निकालना चाहते हैं, तो आप की वही हालत होगी मुर्गी जैसी। मुर्गी तो मर जायेगी, आपको अन्डा एक भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिये आप ऐसा काम कीजिये कि किसान भी जिन्दा रहे और आप का काम भी हो जाय। जो अंकुश आप इस विधेयक के जरिये लगाने जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में गुड़ और खांडसारी बनना बन्द हो जाय। श्रीमन्, यहां की साढ़े सात करोड़ की आबादी है और यदि एक किलो शकर एक आदमी को मिले तो हमारे यहां ७५ हजार क्वीन्टल चीनी की जरूरत होगी। आज हम को २० हजार ही मिल रही है, पहले २५ थी, वह भी अब कम हो गयी। तो जब गुड़ और खांडसारी का बनना बन्द हो जायगा, यह चीनी लोगों के लिये काफी होगी नहीं, तो नतीजा क्या होगा? वह किसान जो गुड़ और खांडसारी पर अपनी जिन्दगी बिता रहा है, वह मर जायेगा। पूर्वी जिलों में शीरा बहुत महंगा हो जायेगा, वह भी गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। अभी तक जो भुखमरी बंगाल में हुई थी, वह हमारे प्रदेश में भी हो जायेगी। मैं आप को बताऊं, ब्रिटेन की क्वीन एलीजाबेथ ने यह घोषणा की है अभी कि पावर्टी और हंगर को दुनिया से दूर किया जाय। लेकिन हमारी सरकार उस को बुलाना चाहती है। सरकार को ऐसे कानून नहीं बनाना चाहिये जिससे प्रदेश का नुकसान हो।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं पहले कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जो किसान अपना गन्ना पैदा करता है और यदि वह क्रशर लगाना चाहता है तो उसे लाइसेन्स नहीं लेना चाहिये। श्रीमन्, एक आदमी तो वह है जो अपना गन्ना पेरने के लिये क्रशर लगाता है, दूसरा वह होता है जो कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये गन्ना खरीदता है और उस गन्ने को पेरने के लिये क्रशर लगाता है, तीसरा आदमी वह है जो एक छोटे व्यापारी होने के नाते अपना क्रशर लगाता है और लोगों से गन्ना खरीदता है और उससे खांडसारी पैदा करता है। सवाल यह है कि क्या इस सदन में कोई कानून ऐसा बनाया जा सकता है जो डिसक्रिमिनेशन करे? संविधान की धारा १४ में है कि "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." एक मिल वाला करोड़पति है और खांडसारी की यूनिट लगाने वाला एक किसान है या कोआपरेटिव सोइइटी भी हो सकती है। यह डिसक्रिमिनेशन होगा कि मिलों पर ६७ नया पैसा जैसा का तैसा रहेगा और इसमें बढ़ा दिया गया। इस प्रकार एक का फेवर और दूसरे को डिस्फेवर करना होगा। ऐसा कानून यह सदन नहीं बना सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं कल्पनार्थसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब इस पर विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजरसिंह—

इस संशोधन के प्रस्ताव में मेरा भी नाम परसों था, मालूम नहीं आज कैसे रह गया है ? आपने मुझे परसों भी अवसर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम इसमें छपने से ग़लती से रह गया है । माफ कीजियेगा । आप बोलें ।

श्री मैनेजरसिंह—

किस पर बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस पर बहस ख़त्म हो चुकी है । कल्पनार्थसिंह जी जवाब दे सकते थे, वह हैं नहीं ।

(व्यवधान)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन है कि आप मैनेजरसिंह जी को उत्तर देने दें । आपने अभी माना कि गलती हो गई, क्षमा करें । उनका नाम कल्पनार्थसिंह जी के साथ था । इस अवसर पर मैं सचिव को भी यह कहना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष की पोजीशन को इस प्रकार गलत जगह ले जाकर न डालें कि उनके विरुद्ध तरह-तरह की बातें कही जा सकें । अगर मैनेजरसिंह जी ने जवाब दिया तो कोई धरती तो उलट नहीं जायगी । आपके फैसले को तुरन्त बदलवा देना ठीक नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

कल्पनार्थसिंह जी ने मुझसे जवाब देने के लिये कहा था, आप नहीं देने देते हैं तो मैं खड़ा हूं । आप मुझे इंगित करके निकलवाइये । यह मेरे अधिकार का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इसमें यह है कि :

"A member who has moved a substantive motion or an amendment thereto....."

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कोई हर समय यहां उपस्थित नहीं रह सकता है । क्लोजर लेने के समय आप को भी देखना चाहिये कि मूवर है या नहीं । उस दिन मैंने क्लोजर मूव किया तो आप ने ५, ६ सदस्यों को बुलवा दिया । तब आप की नियमावली कहां चली गई थी ? आज दिन भर हमारा है । २४ का असरकारी दिवस भी आपने परिवर्तित कर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये १ दिन का टाइम निश्चय हुआ था । अब एक क्लाज पर कितना समय आखिर लगेगा ? इसलिये मैंने क्लोजर का मोशन ले लिया ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इकाई की.....

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप चाहते हैं कि माननीय सुचेता जी के मुख्य मंत्रित्व काल में भी हम लोग सदन से निकाले जायं ? अगर आप चाहते ही हैं तो हम लोगों को सदन से निकलवावें । अगर आप यहां की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ें । आप चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यह हाउस न चले ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक बात मैं आप से निवेदन कर दूं कि इकाई की जो परिभाषा है, उसमें एक अजीब बात है कि माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो संशोधन मूव किया है.....

(व्यवधान तथा बड़े जोरों का शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मैनेजरसिंह जी, आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें, एक साहब बोलें ।

श्री मैनेजरसिंह—

आप उन (कांग्रेसी) लोगों को बैठाइये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

एक-एक के प्रश्न पर विचार होगा कि दस-दस आदमियों के प्रश्न पर एक साथ विचार होगा ? श्री रामसुन्दर पांडेय जी बोलें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस आसन पर विराजमान हैं, जब सदन में किसी माननीय सदस्य का भाषण हो रहा हो तो मंत्रियों को आगाह कीजिये कि वे आपकी कुर्सी के पास जाकर किसी तरह की सांठगांठ न किया करें और मैं समझता हूं कि यह सदन का और आपके उस पद की प्रतिष्ठा का अपमान है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई सभा सचिव कभी जाकर आपसे बात करे, कभी कोई मंत्री बात करे, कभी सेक्रेटरी साहब बात करें और हम लोगों की पूरी बात आप न सुनें । ऐसे आपके मन में जो आवे करें, लेकिन क्लोजर मूव होने से यह बिल पास नहीं होने वाला है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने क्लोजर मूव करा दिया, लेकिन यह तो बतलायें कि जिस संशोधन पर भाषण हो रहा था उस पर अभी तक कितने सदस्यों ने भाषण दिये हैं ? अब तक इस सदन की यह परिपाटी रही है कि इस तरह के बिल पर माननीय सदस्यों को छूट दी जाती रही है कि वे जितना चाहे बोलें, आज संख्यासुर के बल पर आप इसे पास करा लें तो करा लें । परन्तु जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं उस आसन से अब तक यह होता रहा है कि जब आप समझ लें कि विरोधी दल की तरफ से ५-६ सदस्यों के भाषण हो चुके हैं तब आपको इस तरह की बात करनी चाहिये,लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक इस पर तीन-चार भाषण ही

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

हुये हैं। यह इतना महत्वपूर्ण बिल है और इस पर इतना जल्दी क्लोजर मूव करा कर आप इसे पास कराना चाहते हैं तो आप समझ लें कि हम लोग इस बिल को इतनी जल्दी पास नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात मैंने सुन ली, आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सदन की यह परम्परा है कि अगर २-३ माननीय सदस्य मौजूद न हों तो आपका विश्वास हम पर होना चाहिये.....

श्री पालीवाल--

हमारा उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है .....?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर जी, आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमारी बात आप सुन लें सदन की यह परिपाटी रही है कि कोई सदस्य यहां से उठकर किसी आवश्यकता से जाते रहें हैं और किसी से अपने बदले में बोलने को कह जाते हैं जैसे श्री कल्पनाथ-सिंह जी, मैनेजरसिंह को कह गये तो उन को न बोलने देने का अब कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुनिये। इस एक संशोधन पर ५ भाषण हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि एक खंड के संशोधन पर कहने के लिये अब कोई बात ऐसी बाकी नहीं रही जो कि न कही गई हो और इसीलिये क्लोजर मूव हुआ और वह मंजूर हो गया। अब जब मूवर को बुलाया गया तो कल्पनाथ सिंह गैर हाजिर थे और फिर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है। इसलिये अब इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

वह सदन में नहीं थे और श्री मैनेजरसिंह....

श्री गेंदासिंह--

मैं आप से प्रार्थना करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि श्री मैनेजरसिंह जी ने जो कुछ कहा वह मैंने सुना। उन का कहना था कि मूवर को जो समय आप देना चाहते थे वह उन को दे दिया जाय और मैं समझता हूं कि अगर वह आप दे दें तो शायद लोग संतुष्ट हो जायं ? मैनेजरसिंह को आपने एक बार बुला लिया, लेकिन न मालूम किस वजह से आपने बाद में अपना फैसला बदल दिया। सदन का काम ठीक से चल सके इसलिये आप इजाजत दे दें मैनेजरसिंह को। क्लोजर पर हम बहस नहीं करना चाहते। बिल तो आपकी मर्जी पर है। आप पास कराना चाहेंगे तो वह पास हो ही जायगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीय रामसुन्दर जी कह रहे थे श्रीमन्, कि क्लोजर मंजूर नहीं हुआ, क्लोजर यहां मंजूर हो चुका है और जो सदन का फैसला हो उसको मानना चाहिये। यह बात मानी गई थी कि २४ तारीख को ही यह बिल ४ बजे तक पास हो जायगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

किसी ने नहीं माना ।

श्री बनारसीदास—

आप में इतनी भी क्षमता नहीं है कि जो कुछ इधर से कहा जाय उसको सुन सकें, यह तरीका कहां तक उचित है कि चिल्लाकर किसी चीज को फोर्स किया जाय, यह कोई संसदीय प्रणाली नहीं है, यह अनुचित है । माननीय गें ार्सिह जी माननीय मैनेजरसिंह को बोलने के लिये अब फोर्स करना चाहते हैं, वह अब किसी दूसरे संशोधन पर बोलें तो उचित होगा, लेकिन इस प्रकार डिप्टी स्पीकर को आतंकित करना कि वही बोलें कहां तक भुना सब बात होगी, इस तरह से एक साथ ८–१० आदमी शोर मचाने लगें (व्यवधान) कल्पनाथसिंह जी नहीं थे तो क्या किया जाता, तो इस तरह से शोर मचाना सदन की डिगनिटी के लिये शोभा नहीं देता । बार-बार यह कहना कि संख्या के बल पर हम कराना चाहते हैं उचित नहीं है हम तो आप को मत देने का पूरा अधिकार देते हैं, आप को भी अध्यक्ष की आज्ञा को मानना चाहिये ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—

आतंकित करते हैं चेयर को यह बिलकुल गलत है, झूठ है । आप ही श्रीमन्, हमें बतायें क्या आप हम से आतंकित होते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री दीपन रायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरी बात सुन ली जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि ४ बजे तक २४ को यह पास होना था.....

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री बनारसीदास जी कांग्रेस दल के सचेतक हैं और मैं भी एक जिम्मेदार दल का सचेतक हूं, यह किस ने कहा कि ४ बजे तक पास हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस में अन्डरस्टेंडिंग हुई थी कि ४ बजे तक पास हो जाय, २४ को हुई थी ।

श्री दीपनारायणसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें । जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो उसको बिना सुने बीच में अन्य बातें सुनने लगते हैं जिससे बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जाती है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आप हर खंड पर बहस करने के लिये समय बराबर नियत करना चाहते हैं ? या जिस खंड पर विवाद ज्यादा है उस पर ज्यादा समय दिया जाय और जिन पर ज्यादा विवाद नहीं तो उनमें कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं हो सकती इसलिये उन पर समय न दें । लेकिन आपने कहा ....."सब धान बाइस पसेरी" क्या यही व्यवस्था है । माननीय बनारसीदास जी ने एक बात कही.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

आपके बारे में उन्होंने कहा कि धमकी देकर हम काम कराना चाहते हैं। क्या आप धमकी में आने वाले व्यक्ति हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

आपकी मार्फत जितने मित्र बैठे हैं, माननीय यादवेन्द्रदत्त जी, कुंवर श्रीपालसिंह जी, माननीय गेंदासिंह जी, माननीय दीपनारायणसिंह और अन्य सब से निवेदन करूंगी कि सरकार का कोई इरादा नहीं है कि कोई चीज जबरदस्ती लादे। यह बिल जब आया तो मैंने स्वतः कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि शांति से डिस्कशन कर सकें और बहुत से परिवर्तन हुये हैं जो सब के मन को रखने के लिये, उनकी राय को इज्जत देने के लिये किये हैं। आज खास एक दिन इस बिल को पास करने के लिये बढ़ाया गया है। इसलिये हमारा फर्ज है कि हम यहां ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें कायदे से काम हो सके, अगर कायदे और शांतिपूर्ण ढंग से हम किसी विषय पर विचार न कर सके तो इस सभा की कार्यवाही चलाना सम्भव न होगा। सब लोग एक साथ बोलने लगें माइक पकड़ कर तो दिमाग चकरा जाता है। जो काम हो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अब जिस क्लाज पर क्लोजर मूव हो गया है उसको हो जाने दीजिये, आगे के क्लाजेज पर आप जी भर कर बोलिये, दिन भर डिस्कशन कीजिये, हम किसी को रोकना नहीं चाहते, नये प्वाइंट्स लाइये तभी तो आप के विचार सुन कर जो ठीक हमको लगेंगे हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिये इस क्लाज पर जवाब देने दीजिये। आगे के क्लाजेज पर आप बोलिये, दिन भर सब को मौका मिलेगा।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मैं बड़ा आभारी हूं, श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री का। मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि यह पहले तय हो गया था कि आज शायद दिन भर में पास होगा....

श्री उपाध्यक्ष—

आज नहीं। २४ तारीख को ४ बजे तक।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

तो यह निर्णय जो आपस का तय हुआ यह क्या ऐडवाइजरी कमेटी में हुआ ? क्योंकि हमारे व्हिप और सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। और मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा, हो सकता है मिसअन्डरस्टैन्डिग कुछ हो जाय जिसके कारण टेम्पर्स उठ जायं, लेकिन माननीय बनारसीदास जी ने कहा आतंकित आपको हम विरोधी पक्ष के लोग करना चाहते हैं। यह दुख की बात है। हम नहीं चाहते कि आपको आतंकित करें। परन्तु माननीय बनारसीदास जी ऐसा शब्द प्रयोग करें तो कष्ट होता है और उसमें टेम्पर्स बढ़ते हैं। इसलिये इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण करा दें, फिर आगे व्यवस्था चले।

*विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, परामर्शदात्री समिति ने प्रारम्भ में निश्चय किया था कि यह बिल डिस्कस हो कर दो रोज में पारित हो जायगा। जो निश्चय था उस निश्चय को इस हाउस ने मान लिया था। यह निश्चय था। यह सोचकर कि माननीय सदस्यों में कोई एग्रीमेंट बन जाय यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। वहां हमने बहुत से अमेंडमेंट, जिनको मानने में हमें थोड़ी सी परेशानी भी थी, स्वीकार किया। उसमें डिसेंटिंग नोट्स भी आये और अब यह हाउस में आया। मैंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना की और दूसरे दल के नेताओं से, डा० जेड० ए० अहमद साहब से भी बात की। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली और यह हुआ कि हमारी तरफ से आये या आपकी तरफ से और उसके बाद मैंने आदरणीय सदन से प्रार्थना की कि ४ बजे तक इसको पारित कर दें लेकिन परसों ऐसा हुआ कि पहले तो ४ बजे तक उसको पास नहीं होने दिया गया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक साहब ने पहले पास होने में रुकावट पैदा की ४ बजे और जब ४ बज गया तो कहा कि अब तो वह पास नहीं हो सकता। हमारी कभी यह मंशा नहीं थी कि इसको ऐसे ही पास करा लिया जाय, इसलिये हमने कर द्ध प्रार्थना की कि आपस में गुडविल पैदा हो। अगर उस गुडविल का यह नतीजा हो तो उसे कोई ठीक नहीं समझेगा। उस दिन दो मत थे कि दो घंटे समय बढ़ा दिया जाय। एक मत यह था कि उसी दिन पास कर दिया जाय और दूसरा यह था कि अगले रोज लिया जाय। आखिर हम लोग आज दूसरे दिन इस पर विचार करने के लिये राजी हुये। तो सरकार का इरादा यह नहीं है कि ऐसे ही पास हो जाय, लेकिन एक क्लाज पर इस तरह से बहस हो जैसे अभी कमलासिंह जी कह रहे थे जनरल डिस्कशन की तरह से तब तो उस गुडविल का कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रस्ताव को पास होने दें और फिर आगे जितना चाहें बोलें।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं। मुख्य मंत्री महोदया मुझसे मिलीं। मैंने उनसे कहा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कह पाऊंगा, अन्य दलों से भी परामर्श कर लूं। मैंने माननीय डाक्टर अहमद साहब से बात की, स्वतंत्र दल के नेता मौजूद नहीं थे। मैंने पी० एस० पी० से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। सोसशिस्ट पार्टी में राधेश्याम जी भी नहीं थे, उग्रसेन जी भी नहीं थे, इसलिये मैंने काशीनाथ जी से बात की। उस वक्त यही निश्चय हुआ कि आज का असरकारी दिवस सरकारी मान लिया जाय और ४ बजे तक विधेयक पास कर दिया जाय। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ४ बजे तक वह नहीं पास हो सका, वह बात मेरे कंट्रोल में तो थी नहीं। इसमें कोई दोष तो मेरा नहीं था। और ४ बजे के बाद क्या हुआ उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन भावना तो होनी चाहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं उस भावना का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझसे जो बातचीत जिस तरह से हुई थी वह मैंने सामने रखने का प्रयत्न किया जिससे मुझे गलत न समझा जाय।

*श्री गेंदासिंह—

मैं शांतिप्रपन्न शर्मा जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी बुद्धि विरोधी दलों के लड़ाने में अधिक न लगाया करें। जैसा माधोप्रसाद जी ने कहा, हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और हम लोगों से उस संबंध में बातचीत नहीं हो पायी। मैं मुख्य मंत्री जी का आदर करता हूं और इसलिये कि मैं उनको मुख्य मंत्री ही नहीं समझता, वे एक प्रसिद्ध समाजसेविका भी हैं, इसलिये मेरी दृष्टि में उनका आदर है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो अपील उनकी है उसको हमें स्वीकार करना चाहिये। मेरी प्रार्थना उनसे फिर है कि मैं खुशी से उनकी उस अपील को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, इसलिये कि सिर्फ जवाब देने के लिये मैनेजर सिंह जी को हम लोग कह रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है, कि अगर मुख्य मंत्री जी खुद पढ़ेंगीं इस बिल को मन से तो वह यह चाहेंगी कि यह बिल पास न हो तो अच्छा है, लेकिन मेरे मन में भी है कि यह विधेयक न पास होता तो अच्छा था, पर मेरे चाहने से क्या होगा? इधर के बैठने वालों के चाहने से कुछ नहीं होगा और उधर के बैठने वालों में आधे से ज्यादा के मन में यह है कि इस विधेयक से लाखों किसानों को नुकसान होगा, लेकिन डिसिप्लिन का एक डंडा है। अगर संयम के साथ उस डिसिप्लिन के डंडे को उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

और हम से मनवाया जाय तो अच्छा होगा। इधर के माननीय सदस्यों को अपनी बातें कहने दीजिये। हम आपके विवेक पर अपनी बात छोड़ेंगे और जो कुछ होगा उसको भुगतेंगे। हम बुजुर्ग हैं और बड़े भाई के कुकर्म को भुगतेंगे। इस तरफ के लोगों की आकांक्षा यही है कि बिल जहन्नुम में चला जाय और वह जहन्नुम में जा नहीं सकता, क्योंकि मालिकों का डंडा सरकार के पीछे है। मैं चाहता हूं कि श्री मैनेजरसिंह को आप इजाजत दें ताकि काम आगे बढ़े।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैनेजरसिंह जी को बोलने की इजाजत दे दी जाय।

श्री मैनेजरसिंह—

मैंने खंड २ में संशोधन दिया था और मेरा संशोधन माननीय कल्पनाथ सिंह जी के साथ रखा गया था, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा है। मुझे खेद है कि प्रस्तावित संशोधन से आज मेरा नाम भी गायब हो गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे जिले के अन्य विधायक इस बात को जानते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता, केवल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री के पति के आदेश पर ही मैंने कांग्रेस को छोड़ा था और आज आदरणीया मुख्य मंत्री के प्रस्ताव किये जाने पर इस सदन को भी छोड़ने वाला था। मैंने कष्ट के साथ यह संकल्प किया था कि आज मैं इस सदन से निकाला ही जाऊं····

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अमेंडमेंट पर भी बोलिये तो अच्छा है।

श्री मैनेजरसिंह—

इस संशोधन का सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। ठाकुर फूलसिंह ने, जिनकी प्रतिष्ठा हमारे प्रदेश में और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के दिल व दिमाग में है, भी इस संशोधन की भावना का समर्थन किया है। आदरणीया मुख्य मंत्री जी भी इसे स्वीकार करती होंगी और हो सकता है कि कुछ ऐसी मजबूरियां हों जिनसे वे इसे स्वीकार करने में असमर्थ हों। मुझे रहम आती है उनकी मजबूरियों पर और कष्ट भी होता है कि जिसकी जिन्दगी का एक-एक क्षण जनहित में बीता हो, उसी के राजकाज में जनहित के खिलाफ कोई कानून बनाया जाय, यह कष्ट की बात है। हमारे देश में एक महान् नेता जिनका देश में सम्मान है····

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं कहूंगी कि माननीय मैनेजरसिंह मेरे और मेरे पति की तरफ इशारा करने के बजाय विषय पर बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा जिससे काम आगे बढ़े।

श्री मैनेजरसिंह—

इस संशोधन में केवल एक ही मांग की गयी थी कि जो किसान अपना गन्ना पेरता है उसे लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया। इतना निर्दोष यह संशोधन है, मुझे विश्वास है कि सोलह आने, मैं आपको जानता हूं, आपके साथ कार्य करने का मौका मिला है, आप भी इसके एक एक अक्षर से सहमति प्रकट करेंगी। आपके हृदय में वेदना होगी, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। आज इस प्रदेश में और आपके पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके चारों तरफ परेशानी पैदा करना चाहते हैं। इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को आप स्वीकार करें और मैं अपने विचार दूसरे संशोधन पर रखूंगा। इससे आपकी और आपकी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसान का हित होगा और उन किसानों का स्नेह आपको प्राप्त होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इस संशोधन पर माननीय कल्पनार्थसिंह और माननीय मैनेजरसिंह ने बहुत-सी बातें कहीं, लेकिन इसमें केवल यह कहा गया है कि एक प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय जिसमें जो गन्ना रिजर्व एरिया में पड़ेगा उसमें भी इकाई के स्वामी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया जाय। ऐसे बहुत कम लोग हैं। हमने सेलेक्ट कमेटी में असाइंड एरिया को निकाल देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व एरिया में केवल लाइसेंस की बात है इसमें बहुत थोड़े से लोग होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कल्पनार्थसिंह इस को वापस कर लेंगे। मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गेंदासिंह—

एक बिल आज ही आपके अजेंडा पेपर पर है उसमें फिर असाइंड एरिया शामिल किया गया है। क्या उसमें असाइंड एरिया को इनक्लूड करने का प्रस्ताव है? मैं समझता हूं कि यह प्रासंगिक है।

श्री बंशीधर पांडेय—

उसमें श्रीमन्, रेगुलेशन आफ परचेज ऐंड सप्लाई का है। उसको मैं बताऊंगा कि असाइंड एरिया क्यों रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रख दिया जाय—"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी इकाई का स्वामी अपने गन्ने को पेरने के लिये इकाई का इस्तेमाल करता है, तो वह इसके लाइसेंस से शुल्क या अन्य प्रत्येक प्रतिबन्धों से मुक्त होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भानुप्रताप जी, आपका संशोधन भी करीब-करीब ऐसा ही है....

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

थोड़ा अन्तर है उसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यदि दोनों संशोधन एक से दिखाई देते थे तो आपको कहना चाहिये था कि दोनों एक साथ मूव कर दिये जायं, लेकिन आपने दोनों को एक साथ मूव करने के लिये नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि हमारे दल के श्री विजयसिंह ने कल आपसे पूछा कि क्या आप दूसरा प्रस्ताव मूव करने की इजाजत देंगे तो आपने उसके लिए आश्वासन दिया था। इसीलिये हमारे दल के सभी लोग बैठे रहे और इस पर बोले नहीं....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, देखिये, एक डेसीशन हो गया है। अगर कोई बात ऐसी हो कि जो इससे भिन्न हो तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह—

अगर आप सुनेंगे तो मालूम हो जायगा। मैं इसे मूव करता हूं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले यह जरा बता दीजिये कि इसमें क्या बात और है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने दो संशोधन अलग-अलग एजेंडा पर रखे तो उसी समय पहले समझ लेते (व्यवधान) ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

आपने कल आश्वासन दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आश्वासन मैंने नहीं दिया . . . (व्यवधान) उस वक्त मैंने इसको पढ़ा नहीं था और न इन्होंने बताया मुझे । यह तो करीब-करीब एक ही है । अगर कोई फर्क हो तो आप मूव कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री विजयसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने संशोधन उपस्थित करने के सम्बन्ध में कल जो बात हुई थी तो मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि माननीय भानुप्रताप सिंह जी मौजूद हैं और वह अपना संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं, तो आपने कहा था कि. . . . (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपने कहा कि उपस्थित करना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकता था ? (व्यवधान) जरा सुनिये । आपने यह कहा कि यह संशोधन है, उपस्थित करने का मौका होगा या नहीं तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं होगा । लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा तो मालूम हुआ कि दोनों एक से हैं । तो कायदे कानून के खिलाफ तो मैं कोई काम नहीं करूंगा । जब दोनों एक से हैं तो मैं इजाजत नहीं दे सकता । (व्यवधान) ।

श्री विजयसिंह —

मान्यवर, कल जब आपने कह दिया तो हम में से उस विषय पर कोई नहीं बोला । (व्यवधान) मान्यवर उतना शोरगुल हम भी मचायें तो शायद आप हमको भी इजाजत दे दें, लेकिन हम तो शान्ति से काम करते हैं । आपकी आज्ञा का भी पालन करते हैं । नियमानुसार आज के एजेन्डा में भी मेरे प्रस्ताव के नीचे "उपस्थित किया हुआ समझा जाय" नहीं छपा है । इससे स्पष्ट है कि आप आज हमें उस संशोधन को उपस्थित करने का अवसर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब एक चीज पर हाउस का फैसला हो गया तब फिर वही चीज दोबारा नहीं आ सकती । मुझसे आपने कोई बात कही और उसका मतलब दूसरा लगा लिया ।

श्री विजयसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने पहले संशोधन पर हमको बोलने की आज्ञा नहीं दी तो हमको अपना संशोधन पेश करने दिया जाय, क्योंकि इस पर हमको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप नियमावली के नियम १३९ (७) को देखने का कष्ट करें । इसमें लिखा है कि जिस संशोधन की अध्यक्ष पहले अनुज्ञा दे चुके हों उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा । इस संशोधन की आज्ञा हो गई है और यह एजेन्डे पर छप चुका है तो आप नियमों के प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । जब यह हमारे एजेन्डे पर छप गया है तो इस नियम के अनुसार उनको अपना संशोधन पेश करने का हक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । इसमें यह भी तो है कि अध्यक्ष ऐसे संशोधन की अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेंगे जो उनकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आपको हमारे नेता का संशोधन सुनना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अगर कोई नई बात हो तो मैं आज्ञा दे दूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब आपने उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया और वह छप गया और एजेंडे पर आ गया तो आपकी स्वीकृति मिल गई । अब उनको पेश करने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

*श्री भानुप्रतापसिंह—

इन दोनों संशोधनों में थोड़ा अन्तर है । इसमें तो "इकाई का स्वामी" शब्द इस्तेमाल किया गया है । इकाई की परिभाषा के अन्दर जो कुछ लिखा हुआ है उसको यदि स्वीकार कर लिया जाय तो इसका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है । मेरा संशोधन यह कहता है कि जो किसान स्वयं अपने गन्ने से गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगे हुये यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू तथा अन्य उपकरण उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी राय में कोई अन्तर नहीं है । अगर आपकी राय में कोई अन्तर है तो आप बोल सकते हैं ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जायः—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसान द्वारा स्वयं अपने गन्ने से गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने में लगे हुये यंत्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू तथा अन्य उपकरण उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस प्रकार के विधेयक आते हैं जिनको सरकार किसी न किसी ढंग से पास करा लेना आवश्यक समझती है और विरोधीदल के लोग भी उसको किसी न किसी प्रकार से अस्वीकृत कराने का प्रयत्न करते हैं और किसी भी जगह पर दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है । इसका मुख्य कारण मैं यह समझता हूं कि वर्तमान सरकार जो विधेयक लाई है वह अपने अधिकारों की सीमा को न समझकर लाई है । सरकार अपने अधिकारों को असीमित समझती है । किसी प्रकार से अपने अधिकारों की सीमा को वह स्वीकार नहीं करती । हमारे संविधान में कुछ सीमायें निश्चित की गयी हैं । मैं इस अमेंडमेंट को सिर्फ इसलिये लाया हूं और मैं समझता हूं कि किसानों के जो बुनियादी अधिकार हैं अपने पेशा करने के, जो संविधान में दिये गये हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है । मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है जबकि इस प्रकार का विधेयक लाया गया है जिसमें किसानों से अपनी उपज की खपत की स्वाधीनता छीनी जा रही है । यह एक बुनियादी बात है इसीलिये इसका विरोध है । वास्तव में यह अपने आप में इतनी हानिकारक नहीं है, लेकिन एक शुरुआत हो जायगी, एक रास्ता निकल जायगा कि किसानों की उपज की वस्तु पर भी सरकार प्रतिबन्ध लगा सकेगी । आज तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसानों की उपज की वस्तुओं पर सरकार जैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

चाहे प्रतिबन्ध लगा दें। हमारी सरकार समाजवाद की हिमायती है। उसका कहना है और हमारे प्रधान मंत्री कहते रहते हैं कि हम किसी भी उद्योग की, उद्योगपति की इजारेदारी कायम नहीं होने देंगे। उसको मिटाना हमारा लक्ष्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम इस विधेयक से जिससे किसानों की आजादी छीनी जा रही है क्या उन उद्योगपतियों की मनोपोली क्रियेट नहीं करते? क्या यह समाजवाद है कि बड़े उद्योगपतियों के लिये गन्ना सुरक्षित रखने के लिये छोटे किसानों को कहा जाता है कि तुम अपने गन्ने का गुड़ नहीं बना सकते? हमारे संविधान के विपरीत यह विधेयक बन रहा है और इसलिये यह संशोधन लाया गया है।

इतना ही नहीं, इस कानून के बन जाने के बाद किसान को अपनी खेती के ढंग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्थान पर सरकार की ओर से यह आश्वासन नहीं आया कि उसका गन्ना पूरा पूरा खपत कर लिया जायगा। यदि मुख्य मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन दे दें कि ३० अप्रैल तक उस रिजर्व एरिया का प्रत्येक गन्ना उत्पादक का गन्ना मिल में खपत हो जायगा तो मैं समझ सकता हूं कि उनको इस प्रकार का कानून लाने का कोई नैतिक अधिकार है, लेकिन जब वह इस प्रकार का आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं तो इस प्रकार का कानून ला कर उसे एक बंधन में रखना किसानों की खेती में बाधा डालना है, उनकी खेती के कार्यक्रम को बिगाड़ना है। श्रीमन्, कानून में यह भी है कि १/३ गन्ना किसान जो पैदा करता है उसे वह पेर सकता है। २/३ गन्ने को मिल में देने के लिये कहा गया है। यदि उसके पास अधिक गन्ना है तो वह क्या करे और यदि कोई किसान अपने खेत में ज्यादा गन्ना पैदा कर के ज्यादा काम करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है। इस तरह से खेती में बाधा डालना नितांत अनुचित है। दूसरे देशों में, जैसी कि यहां पर बड़ी आलोचना होती है और जो पूंजीवादी देश कहे जाते हैं, जैसे अमेरिका, वहां की बात मैं बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार किसी मोनोपोली को तोड़ने के लिये वहां के लोग प्रयत्नशील रहते हैं। वहां सहकारी संस्थायें अपनी दूकानें खोलती हैं और जब वे इतनी सफल हो जाती हैं कि उस क्षेत्र में कोई निजी दूकान नहीं रह जाती तब वे सहकारी संस्थायें ही उन निजी दूकानों को सब्सीडाइज कर के जीवित रखती हैं, इसलिये कि उनकी मोनोपोली न कायम होने पाये। तो श्रीमन्, जहां हम इतनी समाजवाद की बातें करते हैं वहां कानून बना कर उद्योगपतियों की मोनोपोली कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और यह बड़े दुख की बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। कौन सा लाभ इस तरह से हो जायगा? मान लीजिये कि १५ लाख टन चीनी ज्यादा बन भी गयी, तो परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। उसका नतीजा यही होगा कि शहर वालों को कुछ ज्यादा चीनी मिल जायेगी और गांव वालों को गुड़ कम मिल पायेगा। आपको शहर वालों से ज्यादा डर है, इसलिये आपको उनकी तो फिक्र है, मगर गरीब किसान की फिक्र नहीं है। इससे चीनी भले ही ज्यादा पैदा हो जाय, मगर गन्ना तो उतना ही रहेगा जितना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी हम अपनी सारी मान्यताओं को छोड़ कर, एक प्रजातांत्रिक शासन में जो हमें अधिकार मिले हैं, वे छीने जा रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो किसान क्रशर लाकर अपना गन्ना पेरते हैं उनकी संख्या शायद १००–१५० ही होगी। तो इन थोड़े लोगों के लिये अगर सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है जो कि सदा के लिये एक कलंक का टीका होगा, तो यह कोई ठीक बात न होगी। यह बात दूसरी है कि आपके अधिकारीगण ऐसी राय देते हों कि इससे भ्रष्टाचार फैलेंगे, परन्तु भ्रष्टाचार तो अन्य तरीकों से भी फैलता है, उसको रोकने के लिये आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, वह हमें स्वीकार होगा। भ्रष्टाचार के डर के कारण आप उनके बुनियादी अधिकारों को ही छीन लें, यह उचित नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने की दवा यही है कि आप निगरानी रखें उस पर। उसके गन्ने की जांच-पड़ताल हो सकती है

और वैसा करके आप उनको उतना ही गन्ना पेरने की अनुमति दे सकते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि वे दूसरों से भी गन्ना खरीद कर अपना काम चलायें, लेकिन उसकी कहीं न कहीं सीमा होनी चाहिये, उसका कहीं अन्त होना चाहिये। आज जितनी गड़बड़ी है वह इसलिये भी है कि सरकार अपने अधिकारों की सीमा नहीं समझती, संविधान की कोई इज्जत नहीं समझती। अगर कोई कानून हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो सरकार यह नहीं मानती कि कानून गलत बना था, बल्कि संविधान को ही बदलने की वह सोचती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार अपने अधिकारों की सीमा समझे। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उसे ऐसे ही साधन इस्तेमाल करने चाहिये जो न्यायोचित हों।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्री मेरी बात को चाहे स्वीकार न करें, मगर उनका जो चित्र मेरे मन में है, उससे मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात पर जरूर विचार करेंगी और मेरा उनसे यह निवेदन है और वह स्वयं भी ऐसी बात पसन्द नहीं करती होंगी कि जो किसी की उपजायी हुई वस्तु है उस पर किसी तरह का प्रतिबन्ध लगे और उसकी खपत, पैदा करने वाला व्यक्ति, अपनी इच्छानुसार न कर सके। इससे हमारे बुनियादी अधिकार का हनन होता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीया मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करें और यदि यह संशोधन वे स्वीकार कर लें तो मुझे आशा है कि फिर इसका कोई खास विरोध नहीं होगा और जल्दी ही यह बिल पास हो जायेगा। अगर वे स्वयं इसकी जिम्मेदारी न लेना चाहें तो इतना ही कर दें कि अपने आप को उधर बैठने वालों पर से हटा लें ताकि आज एक बार वे स्वतंत्र होकर अपने विचारों के अनुसार मत दे सकें। यदि आप ऐसा कर दें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संशोधन पास हो जायेगा।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पहले इस सदन में प्रस्तुत किया गया था तो उस वक्त मैंने माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलायी थी कि बहुत से किसान इस प्रदेश में ऐसे हैं, खास कर मेरे क्षेत्र में भी ऐसे कितने ही किसान हैं जिनके अपने जाती पावर क्रशर्स हैं और वे केवल अपना ही गन्ना पेरते हैं, किसी दूसरे का गन्ना नहीं पेरते और न खरीदते ही हैं। लिहाजा उन लोगों के लिये आपने क्या व्यवस्था इस बिल में रखी है। इस पर मंत्री जी ने पहले यह कहा कि यह बिल उनको भी कवर करता है। फिर जब मैंने दोबारा प्रेस किया तो पांडेय जी ने कहा कि हम इस सम्बन्ध में इस बात को जरूर कंसीडर करेंगे। इसके बाद जब सदन खत्म हुआ तो सदन खत्म होने के बाद फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा "मेरे एक अधिकारी का लिखा हुआ मेरे पास आया है कि यह बिल उसको कवर नहीं करता है।" पहले यह ख्याल था कि जिन किसानों ने अपना पावर क्रशर लगा रखा है उनके ऊपर इस बिल का असर नहीं होगा, लेकिन आज फिर एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गयी है। जब इस बिल को देखा जाता है तो मालूम होता है कि ऐसे किसान जिन्होंने अपने पावर क्रशर्स लगा रखे हैं और केवल अपना गन्ना पेरते हैं, उन पर भी इस बिल का असर होता है। इस लिहाज से मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और इस विषय में आपके सम्मुख यह और कहना चाहता हूं कि यह कितने अफसोस और शर्म की बात है।

अव्वल तो जैसा कि कल माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि किसानों के पास बहुत कम एग्रीकल्चर इम्पलिमेंटस हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पावर क्रशर्स लगा रखे हैं और अपना गन्ना पेरते हैं, उनके ऊपर भी इतनी बड़ी पाबन्दी लगा दी जाय। इस तरफ सरकार का जरा भी ख्याल नहीं है कि जिन किसानों के पास अपने पावर क्रशर्स हैं उनका इस बिल से कितना बड़ा नुकसान होगा अगर उनको अपना गन्ना अपने पावर क्रशर्स द्वारा पेरने की आम इजाजत नहीं दी जाती। बैलों के कोल्हू से १०० मन गन्ने से ५० मन रस निकलता है जब कि पावर क्रशर से ६५–६७ मन रस निकलता है जिससे गुड़, खंडसारी या राब जो कुछ भी वे बनाना चाहें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

बना सकते हैं और इस प्रकार उनका उत्पादन बढ़ सकता है। बरअक्स इसके अगर वे मजबूरी की हालत में कोल्हू से १०० मन गन्ना पेरते हैं तो केवल ५० मन ही रस निकलता है और उसी हिसाब से वे उससे गुड़, खांड या राब जो कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इस तरह से उन किसानों के उत्पादन के साथ यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है और एक तरह से बहुत बड़ा जुल्म है। और यह जुल्म इस हद तक पहुंच गया है। मैं समझता हूं जिससे किसान इस बात को महसूस करते हैं कि यह सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। आखिर आप भी चाहते हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं वे ज्यादा गन्ना बोयें ताकि गुड़, चीनी आदि का उत्पादन बढ़े। कुछ किसानों के पास इतने बैल तो नहीं हैं कि वे अपने बैलों से ही कोल्हू चलावें उन्होंने कुछ रुपया जमा करके अपना पावर क्रशर खरीद लिया और इंजन लगा लिया या पावर ले ली, तो इस तरह की समस्या मेरे क्षेत्र में बहुत है जहां किसानों ने अपने पावर क्रशर्स लगा रखे हैं और वे अपना गन्ना पेरते हैं और किसी दूसरे का गन्ना नहीं खरीदते हैं। फिर उनको आप क्यों मजबूर करना चाहते हैं कि वे भी उसके लिये लाइसेंस लें। आज उनके लिये यह संशोधन होना चाहिये कि ऐसे किसानों को अपने पावर क्रशर के लिये लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

हमारे यहां से फैक्टरी काफी दूर है ऊंचे गांव परचेजिंग सेन्टर को उसे बाहर निकाल दिया गया है। एक परचेजिंग सेंटर दौलतपुर है जो आज तक फैक्टरी एरिया से बाहर नहीं किया गया जब कि फैक्टरी ने वहां से आज तक गन्ना नहीं खरीदा और न खरीदेगी। किसान ने क्या पाप किया है जो सरकार उसको यह सजा दे रही है। किसानों के साथ यह अमल न किया जाय। उनके जो पावर क्रशर हैं वह जंग आलूद हो कर खराब हो रहे हैं जिन को उन्होंने बड़ी मुश्किल से खरीदा है। इसलिये उन पर से यह पाबन्दी हटाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि श्री भानु प्रताप सिंह के इस संशोधन को सरकार को जरूर स्वीकार करना चाहिये, यह बहुत जरूरी है। आप ने गुड़ पर पाबन्दी लगाई और उसी को तोड़ने में हमारी पार्टी के कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं और अभी और लोग तो गिरफ्तार होने वाले हैं और यह अमल जारी रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि गुड़, खंडसारी, कोल्हू और क्रशरों पर यह पाबन्दी कब तक लगी रहेगी? इससे किसानों का नुकसान होगा और चीनी की भी पैदावार ज्यादा नहीं हो सकेगी। अगर इसी तरह की पाबन्दी रहीं तो किसान गन्ना बोना छोड़ देगा, इसलिये इस काले कानून को पास न करायें। इसके पास करा लेने से जनता के अन्दर आप की कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि वह समझ रही है कि जनता के साथ जुल्म हो रहा है। मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर वगैरह में बहुत से किसानों के पावर क्रशर्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बराबर रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं बार-बार ही रिपीट करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी सुन लें कि इस तरह का जुल्म और पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। इससे जबरदस्ती किसानों का नुकसान किया जा रहा है मशीनरी उनके पास होते हुये भी उन को उन के इस्तेमाल से महरूम न करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में श्री भानु प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें भी वही बातें थीं, ठीक है काफी बहस हो चुकी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं इस का विरोध करता हूं, मुझे आप सुन लें उसके बाद क्लोजर रखें, मैं पहले भी खड़ा हुआ था आपने इजाजत नहीं दी..

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं नहीं बैठूंगा, मैं कल्पनाथसिंह जी वाले संशोधन पर पहले भी खड़ा हुआ था..

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से हर बार आप..

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप ५ मिनट में मेरी बात सुन लें..

श्री उपाध्यक्ष—

काफी बहस हो गई, यह जरूरी नहीं है कि सब को समय दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं केवल ५ मिनट बोलना चाहता हूं, या तो आप कह दें, मैं सदन छोड़ कर चला जाऊं या मुझे आप ५ मिनट का अवसर दें। जहां कोई उधर से कह दे आप क्लोजर मूव कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब काफी बहस हो चुकी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कम से कम ५ मिनट मुझे सुन लें, नहीं तो कहें मैं चला जाऊं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी खुशी है रहें या चले जायं।

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं ५ मिनट बोल कर जाऊंगा। आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं बोल रहा हूं। या आप कहें कि सदन छोड़ कर चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप व्यवस्था नहीं मानते हैं तो आप सदन छोड़ कर चले जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी बड़ी गरिमा है और अगर आप निर्वहन नहीं करते हैं तो आपकी व्यवस्था के विरोध में मैं सदन छोड़ कर जा रहा हूं।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें। नहीं तो वही परम्परा हो रही है जिसका हमको विरोध करना पड़ेगा .....

श्री उपाध्यक्ष—

पहला संशोधन यही था उस पर काफी बहस हो चुकी थी....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप मेरी बात सुन लें पहले....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्लोजर के बाद नियमानुसार कोई बहस नहीं हो सकती।
(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्लोजर का विरोध सुन लीजिये, जब तक आप नहीं सुनेंगे हम नहीं मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आप बैठ जायं। मैंने बता दिया कि पहला संशोधन भी ऐसा ही था और उस पर काफी बहस हो चुकी थी, इसलिये इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें कि जब उधर से क्लोजर मूव होता है तो क्या विरोध करने का हक नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अख्तियार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब वह अधिकार है...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब तक आप सुन नहीं लेंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे..

श्री उपाध्यक्ष—

या तो आप बैठ जाइये, या सदन छोड़ दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम नहीं बैठते जब तक आप क्लोजर का विरोध नहीं सुनेंगे। अगर क्लोजर का विरोध नहीं चलेगा तो यह असेम्बली चलेगी कैसे ? क्या ऐसे असेम्बली चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे रामसुन्दर जी कह रहा हूं कि या तो आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम नहीं बैठते ऐसे, जब तक कि जो क्लोजर का नियम है उसका पालन नहीं हो जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारी बात तो सुनिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जी नहीं, पहले आप हमारी सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैंने आपकी बात सुन तो ली ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप नियमावली में बता दें कि क्लोजर मूव हो और क्लोजर का विरोध करने वाले को मौका बिना दिये मनमानी ढंग से आप क्लोजर पास कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बताइये कि कौन सा नियम है जिससे आप यह कहते हैं कि विरोध करने वाले को सुनना पड़ेगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

नियम ११६ के परन्तुक को देखिये—"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य के उत्तर देने के अधिकार को अनुज्ञापित करेंगे जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हों ।" यह विवादान्त के सम्बन्ध में है और हम को अपना विरोध करने का अधिकार है । हम विरोध करेंगे और हमें कहने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से यह सुनाता हूं । सुनिये—

"While the Speaker is in the Chair, or the Chairman of Ways and Means or the Deputy Chairman is in the chair in committee of the whole House, if a Member rising in his place, after a question has been proposed, moves "That the question be now put", that question must be put, forthwith without amendment or debate, unless it appears to the Chair that the motion is in abuse of the rules of the House or an infringement of the rights of the minority."

श्री गेंदासिंह—

जब कोई नियम इस सदन का न हो उस हालत में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जा सकता है, लेकिन इस सदन ने कोई नियम बना रखा हो तो फिर हाउस आफ कामन्स का प्रोसीजर हमारे काम में नहीं आयेगा । अब अगर क्लोजर मोशन आता है तो क्या यह नेचुरल जस्टिस का तकाजा नहीं है कि कोई सदस्य अपील कर सके और उसकी बात आप सुन लें ?

श्री बेचन राम—

क्लोजर का मोशन आने पर आप उसे पुट कर देते हैं तो इसके माने यह हो गये कि आपने उसे मान लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहला संशोधन इसी तरह का है केवल इसमें और उसमें कुछ अल्फाज का फर्क था। इसलिये मैंने क्लोजर मोशन एलाऊ कर दिया था। अब चूंकि काफी बहस हो चुकी थी इसलिये मैंने क्लोजर मान लिया। वह पास भी हो चुका। इस तरह से तो कोई बहस चल ही नहीं सकती।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सरकारी पक्ष के लोगों से सारे बिल पर क्लोजर मोशन मूव करा लें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

मुझे बड़ा दुख है कि मेरी अपील के बावजूद इसी तरह हाउस का काम चल रहा है। मैंने समझा था कि मेरी विनती करने से हाउस का वातावरण कुछ बदलेगा। जब एक विषय पर बातचीत हो चुकी है तो उस पर दूसरा संशोधन आना ही नहीं चाहिये था और अगर आ गया और क्लोजर मूव किया गया तो गलत बात नहीं थी। क्लोजर होने के बाद किसी को कुछ कहने की गुंजायश नहीं रहती है। हाउस में कोई काम रोकने के लिये फिलीबस्टरिंग होती है लेकिन वह भी कायदे के अन्दर होनी चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे और उनकी राय से इस बिल में काफी संशोधन किया गया है। उसके बाद भी अगर इस ढंग से विरोध किया जाय तो बड़ी मुश्किल होती है। मेरा पुनः आग्रह है कि इस पर कायदे से काम होने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जैसा मुख्य मंत्री जी समझती हैं वैसी राय इधर के सदस्यों की नहीं है। उन्हीं की राय से सदन चलता होता तो इस बहस की जरूरत न पड़ती। जिस मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का हवाला दिया गया उसी में एक एक संशोधन पर ३-३ दिन तक बहस हुई है, लेकिन सरकारी पक्ष से जरा देर में क्लोजर मोशन मूव कर दिया जाता है जबकि इधर के बैठने वालों की राय यह है कि इस बिल के पास होने से उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हकतल्फी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

क्लोजर मूव हो गया, हाउस ने मान लिया फिर भी आप बहस कर रहे हैं, यह कायदा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच सरकारी पक्ष के लोग विरोधी पक्ष के लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो उनका बहुमत है, वे खड़े हो कर कह दें कि अब इस बिल पर कोई फरदर बहस नहीं होगी। यह प्रस्ताव आ जाय, हम लोग उठ कर चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, मैं अपोजीशन को काफी मौका देना चाहता हूं, लेकिन कायदे के मुताबिक अगर वे नहीं चलेंगे कि तो फिर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। फिर अगर उनके राइट्स कर्टेल होते हैं तो हों।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सरकारी पक्ष के लोग कायदे के अनुसार नहीं चलते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपको और उधर के बैठने वालों को चुनौती देता हूं कि हाउस आफ कामन्स की एक भी प्रोसीडिंग निकाल कर दिखायें जहां खंडों पर क्लोजर मूव किया गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अपोजीशन को अपनी पूरी-पूरी बात कहने का मौका मिले । लेकिन मैं चाहता यह हूं कि एक तो जो बात कहें रेलेवेन्ट हो, वह उसी खंड से संबंधित हो, दूसरा जानबूझ कर ज्यादा समय न लें । इन बातों के रहते हुये मैं मौका दूंगा ।

दूसरी बात, नियमावली में यह है कि जब क्लोजर आये तो मैंने बताया कि क्लोजर मैंने इसलिये मंजूर किया कि पहले वाले संशोधन पर काफी बहस हो चुकी और उस पर निर्णय हो चुका । उसके बाद सही बात तो यह है कि अगर एक लफ्ज में फर्क न होता तो मैं इसको डिस-एलाउ कर देता ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

आप कई बार कह चुके कि उसी ढंग का था । बिल्कुल उसी ढंग का नहीं था, इसी पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बात नहीं मानी जायगी । मैं बोल रहा हूं और आप बीच में बोलते हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने कहा कि मैंने काफी समय दिया । तो क्या मेहर-बानी कर के आप 'काफी समय' की परिभाषा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

'काफी समय' एक रिलेटिव टर्म है और उस का मतलब यह है कि जितना समय जरूरी है उतना । तो मैंने काफी समय दिया ।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक ठीक नियमों का ताल्लुक है, क्लोजर मूव हो जाने के बाद यह तो अध्यक्ष के स्वविवेक पर है कि आया वे उसको ठीक समझते हैं या नहीं । मैं उसे ठीक समझता हूं और उसका कारण भी मैंने आपको बतला दिया । अब आप शान्तिपूर्वक कार्यवाही चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

हमारे माननीय मित्र आज बहुत उतावले हो रहे हैं । मैं जरूर चाहता हूं कि वे अपना मुंह खोलें तो बड़ा कल्याण होगा इस देश का ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मेरा निवेदन यह है कि एक प्रस्ताव जो इस सदन में आ जाता है चाहे वह बहस बन्दी का प्रस्ताव हो या कोई भी प्रस्ताव हो, किसी भी माननीय सदस्य को उस प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार हमारी प्रक्रिया नियमावली में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं है । आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

सब बैठ जाइये । मैंने बता दिया इसमें अधिकार नहीं है । केवल अध्यक्ष के स्वविवेक पर है । आप बैठ जाइये ।

श्री भगवान सहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदरणीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर आपके सामने पेश करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि यह उसका अधिकार है कि आप प्वाइंट आफ आर्डर सुनें । सुनने के बाद जो भी निर्णय दें वह हमारे ऊपर मान्य है, लेकिन उस संशोधन को सुनें जरूर । आप बिना सुने हुए नहीं कह सकते कि प्वाइंट आफ आर्डर गलत है । अगर माननीय कल्पनाथ सिंह कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं तो कम से कम आप उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय कल्पनार्थसिंह को सुन लिया और व्यवस्था भी दे दी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैंने आपकी व्यवस्था भी सुनी । मैं दूसरी बात कह रहा हूं । आप सुनिए तो । उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं . . . .

श्री बनारसीदास—

किस बात पर व्याख्यान है ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

हमारी व्यवस्था की बात सुन लीजिये । आपने हुक्म दिया तो खड़ा हुआ । आधी बात मैंने कही और आधी नहीं कही ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय बनारसीदास के इशारे पर आप चलेंगे ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

आपने कहा आपका स्वविवेक है । हमारी नियमावली में यह सही है कि क्लोजर का प्रस्ताव आता है तो यह आप के स्वविवेक पर है कि आप सदन के सामने रखें या नहीं । आप बिना सदन की राय लिए रिजेक्ट कर सकते हैं । लेकिन जब सदन के सामने प्रस्ताव रख देते हैं तब उसके बाद किसी माननीय सदस्य का यह अधिकार होता है कि उस प्रस्ताव का विरोध करे या संशोधन उपस्थित करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं है रूल ।

श्री बेचनराम—

जबकि क्लोजर का प्रस्ताव हो चुका उस पर आपने व्यवस्था दे दी। जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि क्लोजर आना चाहिए और जब आपने वोटिंग ले ली, प्रस्ताव पास हो चुका तो यह प्रश्न उठाना कि क्लोजर का उचित समय नहीं था, व्यवस्था ठीक नहीं थी, यह बिलकुल गलत है। व्यवस्था का प्रश्न तब उठ सकता है जब कोई चर्चा हो रही हो। जब कोई चर्चा नहीं हो रही है तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। वह क्लोजर का प्रस्ताव जब यहां पर पास हो चुका है तो अब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय सदस्य ने जो अपनी राय जाहिर की मैं उसकी कद्र करता हूं। माननीय बेचन राम जी की काबलियत से गाइड होना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सचिव आपकी बगल में बैठे हैं। उनसे आप राय ले सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हाउस की परम्परा पड़ेगी कि जिस संशोधन के लिये कोई विरोध की बात है तो उसके लिये नियमों को ससपेन्ड करके पास कर दिया जाय। मुझे तब कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। जब कोई प्रस्ताव हाउस में रखा जाता है कि इस पर बहस बन्द की जाय तो उसके बाद उस प्रस्ताव का विरोध करना या समर्थन करना सदस्यों के अधिकार की बात है। उसके बाद एक या दो सदस्यों को सुनने के बाद आप वोट लेते हैं तो तभी सदन का निर्णय फाइनल होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मैं विरोधीदल से और आपसे भी करबद्ध प्रार्थना यह करना चाहता हूं और बिलकुल हाथ जोड़ कर करना चाहता हूं कि कृपया जो हमारे नियम हैं उनके अनुकूल चलने का प्रयास किया जाय, नहीं तो यह सदन चलने वाला नहीं है। सदन की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। श्रीमन्, अगर आप कोई गलती करते हैं तो हम लोगों को चाहिये कि आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें। यह जो तमाशा हो रहा है इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है और तभी मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर यही तरीका जारी रखना है तो मुझे आज्ञा दी जाय और मैं हाउस को छोड़ कर जाता हूं।

(कुंवर श्रीपालसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मुझे भी कुछ कहने का असवर दिया जाय। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं। उसके बाद आप बोलियेगा। मेरी व्यवस्था यह है कि जो प्वाइंट रेज किया गया है प्वाइंट आफ आर्डर का यह इस समय नहीं उठ सकता है। क्लोजर मूव हो चुका है और वह पास हो चुका है। तो उसका अब कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री भानुप्रतापसिंह को बुलाने पर)

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्रीमन्.....

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, आपने कहा था कि अपनी व्यवस्था देने के बाद आप मुझको अवसर देंगे तो अब मुझे सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपको नहीं सनूंगा। मैं एक निर्णय दे चुका हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मैं आपकी इस आज्ञा के प्रति अपना रोष प्रकट करता हूं और उसके फलस्वरूप बड़े दुख के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री भगवान दास यादवेन्दु सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

यह एक सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं जो सबडिविजनल मैजिस्ट्रेट, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर से आयी है और जो इस प्रकार है:—

"DEAR MR. Speaker,

I have the honour to inform you that Sri Nain Singh, Member of Vidhan Sabha, Uttar Pradesh, has been arrested for contravening the provisions of Rule 125(2) of the Defence of India Rules read with Rule 3 of Gur (Movement Control) Order, 1963 while exporting Gur at Ramra Ghat, Police Station and Tahsil Kairana, district Muzaffarnagar, (U. P.) to the State of Punjab on December 23, 1963 at 3.30 p.m.

Sri Nain Singh, M. L. A. is at present lodged in the District Jail, Muzaffarnagar."

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीश-शरण अग्रवाल एडवोकेट, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल वायरलेस द्वारा आयी जो सूचना माननीय नैनसिंह की गिरफ्तारी के बारे में यहां दी गयी तथा उसमें उनकी गिरफ्तारी का कारण यह बताया गया था कि वे गुड़ का इम्पोर्ट कर रहे थे। किन्तु आज जो सूचना दी गयी उसमें यह है कि वे उसका एक्सपोर्ट कर रहे थे। दोनों सूचनाओं में अन्तर होने के कारण यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जाता है, अतः मैं उसकी नोटिस देना चाहता हूं, इससे यह प्रश्न बन गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपने सूचना दे दी, ठीक है। आप उसे भेज दें, देख लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे उस समय जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो क्लोजर मोशन पेश किया गया। उस वक्त तत्काल उसके विपक्ष में एक संशोधन पेश किया गया। हमेशा सदन में दोनों ही प्रस्तावों पर मत लिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष ने संशोधन का जो प्रस्ताव था उस पर मत नहीं लिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियमों में कोई ऐसा प्राविधान है कि बिना संशोधन के प्रस्ताव पर मत लिये ही क्लोजर प्रस्ताव पर मत ले लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

यदि आप इस पर मेरी व्यवस्था चाहते हैं तो अच्छा यह होता कि मेरे सामने जब क्लोजर का कोई प्रस्ताव आता और उस पर उसी तरह का कोई संशोधन का प्रस्ताव आता। उस समय मैं अपनी व्यवस्था दे सकता था। अब एक इस तरह का हाइपाथाटिकल प्रश्न करके आप मेरी व्यवस्था चहते हैं, तो यह मेरे लिये ठीक नहीं होगा कि मैं इस पर कोई व्यवस्था दूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, इसके पहले भी जब सदन बैठा था तो कई घटनायें ऐसी हुई थीं जो बड़े दुख की थीं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा बिल है जो किसान के मर्मस्थल पर चोट पहुंचाने वाला है। इस बिल से हम लोग तो असहमत हैं ही, आपकी तरफ के भी बहुत से लोग असहमत हैं। यह ऐसा बिल है जो किसानों के साथ ज्यादती करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बिल के पास कराने में जल्दबाजी न की जाय और जल्दी जल्दी क्लोजर मूव न हो। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर हमारी भावनाओं को कम से कम सुन तो लिया जाय, फिर जैसा आप चाहें करें, आपके पास बहुमत है, पास तो आप करा ही लेंगे। हमको यह महसूस नहीं होना चाहिये कि आप डिबेट को चोक करना चाहते हैं, यही आपके द्वारा मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाया है वह बड़ी आवश्यक है और उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। हमें चाहिये कि हम सदन में एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जिसमें सभी माननीय सदस्य सहायक हो सकें। यह एक गंभीर विषय है और एक शान्त वातावरण में ही इस पर विचार होना चाहिये। इस विषय पर अधिक मात्रा में माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, और यह उचित ही है कि सरकार की तरफ से या उसकी तरफ के किसी अन्य माननीय सदस्य की ओर से जल्दी क्लोजर मोशन न आये। मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि कोई क्लोजर मोशन आता है और मैं समझता हूं कि जल्दी आया है, उस पर बोलने का काफी समय लोगों को नहीं मिला है, तो मैं, मुझ में निहित अधिकारों का प्रयोग करके, उसको पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय दुबे जी ने जो बात कही उसकी गुंजायश नहीं थी और वह इस मानी में कि जो परामर्शदात्री समिति है उसने इस बिल के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया था। प्रवर समिति में जाने से पूर्व पूरे दो दिन तक इस पर बहस हुई। उसके बाद प्रवर समिति में भी इस पर बहस हुई। २४ तारीख से पहले माननीय नेता विरोधी दल से तथा अन्य नेताओं से भी बात हुई थी और वे सब इस बात के लिये राजी होगये थे कि वे कल इस बिल को पास कर देंगे। तो इन तमाम बातों के बावजूद यह कहना कि कोई जल्दबाजी हो रही है, या कोई ऐसा काम हो रहा है जो अपोजीशन को पसन्द नहीं है, तो यह ठीक नहीं है। यह हो सकता है कि बहुत से ऐसे काम सरकार करती है जो अपोजीशन की राय में ठीक नहीं होते, वह उसको पसन्द नहीं करता, मगर सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और उसके अन्दर उसको कुछ काम करने पड़ते हैं। आप किसी भी डेमोक्रेटिक किताब को लेकर देखें, अपोजीशन का यह फंक्शन होता है कि वह अपनी बातों को सदन में पेश कर दे, यह सरकार का काम है कि वह उसको माने या न माने। इसलिये मैं अपने विरोधी दल के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको उसी स्पिरिट में लें और उसी को लेकर यहां डिस्कशन होने दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राममूर्ति जी ने जो बात कही, वह सारे सदन ने सुन ली। इसके बावजूद मैं यह समझता हूं कि माननीय दुबे जी ने जो बात कही थी उसका औचित्य था। प्रवर समिति में जाने

[श्री अधिष्ठाता]

के बाद भी माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वह अपनी राय बदल दें और यह समझें कि ज्यादा समय विवाद के लिये मिलना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मेरा निवेदन है कि आप रीजनेबिल टाइम लें। अब मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बात बन्द करके, विधेयक पर आगे बहस की जाय।

श्री नैनसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, नैन सिंह जी की गिरफ्तारी का मामला बहुत ही अहम है और उस पर आप कब अपनी रूलिंग देंगे? कल कुछ और कहा गया था कि इम्पोर्ट कर रहे थे और आज यह खबर आई कि एक्सपोर्ट कर रहे थे.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बताता हूं। देखिये, कल वायरलेस मेसेज आयी थी और आज रिटेन मेसेज विस्तारपूर्वक आयी है जिसमें भेजने वाले के दस्तखत हैं। फिर भी आपने अपने विशेषाधिकार की अवहेलना का भी सवाल दे दिया। अगर उसमें कोई तत्व होगा तो उसके ऊपर बातचीत हो जायगी। वह अगर महत्व का है तो आपको अधिकार होगा कि आप कहें, बतायें, लेकिन मैं तो व्यवस्था दे चुका और स्पष्ट कर चुका। अब आप पुनः इसको उठा रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा न करके इस गंभीर विषय को अब चलने दें। उसका निराकरण हो गया। आपका केस सदन के सामने आ गया और मैंने स्पष्ट कर दिया। प्रत्यक्ष यह मालूम होता है कि रिटेन मैसेज और वायरलेस मैसेज में अन्तर हो सकता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

श्री गेंदासिंह—

मैं, श्रीमन्, यह कह रहा था कि माननीय राममूर्ति जी जैसा अनुभवी.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गेंदासिंह जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब आप उस विषय को न उठावें...

श्री गेंदासिंह—

केवल एक बात मैं उनसे अपील के तौर पर कहना चाहता हूं और इसलिये कहना चाहता हूं कि आपने एक व्यवस्था दे दी थी। तो व्यवस्था दे देने के बाद माननीय राममूर्ति जी ने कुछ उचित काम नहीं किया मेरे ख्याल से....

श्री अधिष्ठाता—

तो अब आप तो उचित बात कीजिये ....

श्री राममूर्ति—

अच्छा साहब, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर उचित बात नहीं की।

*श्री भानुप्रतापसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की कही गई कुछ बातों से जो थोड़ा भ्रम पैदा हो गया है उसको दूर कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं। उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में जब यह बिल पेश था तो वहां बहुत सारी बातें जो विरोधी पक्ष वालों की थी वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान ली गई थी और यह विधेयक जो आया है यह बहुत अंशों में विरोधी दलों की स्वीकृति प्राप्त करके आया है। श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है। हमने उस प्रवर समिति की रिपोर्ट में अपने नोट्स आफ डिसेंट लगाये हैं और यह स्पष्ट लिखा है कि किन बातों से हम सहमत हैं और किन बातों से हम सहमत नहीं हैं। वास्तव में यह विधेयक इतना गलत है कि यदि उसमें एक बात न बढ़ाई गई होती जो कि प्रारम्भ में उद्देश्य और कारणों में लिखी गई थी तो मैं तो समझता हूं कि हम लोगों के लिये उसमें सम्मिलित होने की कोई गुंजायश नहीं थी। विधेयक के मुख्य तीन उद्देश्य बताये गये थे। प्रथम तो यह कि क्रय कर की वसूली एक मुश्त करने की की व्यवस्था की जायगी। दूसरे यह कि गुड़ और खांडसरी बनाने पर क्रय-कर में वृद्धि की जायगी और तीसरा यह कि गुड़ और खांडसारी बनाने पर प्रतिबन्ध और भी कड़े और व्यापक बनाये जायेंगे। हमने अपने नोट आफ डिसेंट में स्पष्ट कर दिया था और आज भी कर देना चाहता हूं कि केवल उस "एक उद्देश्य से जिसमें यह कहा गया था कि क्रय-कर की वसूली एकमुश्त होगी, उसके अतिरिक्त हम इस विधेयक के अन्य किसी भी उद्देश्य और कारण से सहमत नहीं हो सकते थे और न आज हैं। इसलिये यह भ्रम पैदा करना कि विरोधी दलों के लोग भी जिस रूप में यह आया है उससे सहमत हैं काफी अंश तक, मैं समझता हूं यह गलत बात है क्योंकि इस विधेयक में असली चीज जो है वह प्रतिबन्ध है और उन प्रतिबन्धों से एक भी इधर का विरोधी पक्ष का सदस्य सहमत होने की बात भी नहीं सोच सकता। मैंने विरोधी पक्ष के एक सदस्य के नाते यह संशोधन नहीं रखा था बल्कि एक किसान की हैसियत से अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की थी और मैं समझता हूं कि दलबन्दी से ऊपर उठकर और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर सरकारी पक्ष इस पर विचार करे, क्योंकि उधर भी किसानों की कमी नहीं है। किसानों के सभी प्रतिनिधि हैं और विशेषतया हमारे मुख्य मंत्री के दिल में उनके प्रति बड़ी सहानुभूति है। यदि मैं यह नहीं समझता कि सरकारी पक्ष में भी किसानों के प्रति सहानुभूति रखनेवाले हैं तो इस संशोधन को पेश ही न करता क्योंकि अकेला विरोधी पक्ष कोई बात सरकार से नहीं मनवा सकता। हम लोगों की संख्या कम है। परन्तु मेरी आशा निराशा में बदल रही है क्योंकि मुख्य मंत्रीजी को सलाह दी गई है कि अगर किसानों को अपना गन्ना पेरने की छूट दे दी गई तो बहुत भ्रष्टाचार फैल जायगा और बेईमानी होगी। लेकिन उस लूपहोल को रोका जा सकता है। पिछले महायुद्ध में जरूर किसानों की मर्जी के विरुद्ध अनाज की उगाही उनसे की गई थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह पहला कानून है जो उन्हें अपनी उपज का उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करने को बाध्य कर रहा है। यह एक बुनियादी बात है और इसलिये हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं।

आज हमारे प्रदेश का किसान विधान सभा की ओर आंख उठाये देख रहा है कि किस पक्ष ने उसके बुनियादी अधिकार को समाप्त करने का कानून यहां रखा है। यह कानून किसानों के हितों का पूंजीपतियों के पक्ष में बलिदान करने वाला है। सरकार का कहना है कि इस देश में में एकाधिकार कायम नहीं होने दिया जायगा, लेकिन वह इस कानून से होने जा रहा है। आगे चलकर किसान की दूसरी उपजों के बारे में भी ऐसा ही होगा। यह किसान के शोषण की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि किसानों को जमींदारों के शोषण से बचा दिया लेकिन आप इस कानून से उन्हें पूंजीपतियों के शोषण की वस्तु बना रहे हैं।

सभी जानते हैं कि जितने गन्ने की मिलों की आवश्यकता है उससे अधिक गन्ना सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित कर लिया गया है। इसका क्या कारण है? अगर रक्षित क्षेत्र के किसानों को यही छूट दे दी जाती कि वह फालतू गन्ने को पेर सकता है, तो भी कुछ न्यायपूर्ण बात होती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है और इसका बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। किसान गन्ना बोना छोड़ देगा और गन्ने की पैदावार कम होगी।

इसलिये मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री से अपील करता हूं कि ऐसा कानून वह अपने शासनकाल में न बनने दें जो कि किसानों के बुनियादी अधिकार को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम हो।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन मान लिया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन ,इस प्रकार का पहला प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है । जिस किसान ने गत वर्ष मिल को गन्ना नहीं दिया उसे हमने किसी तरह से भी बाध्य नहीं किया है, टैक्सेशन से भी उसे छोड़ दिया है । केवल लाइसेंस की बात है यन्त्र चालित कोल्हू में । इनकी संख्या बहुत कम है । इससे कोई विशेष अन्तर पड़ने वाला नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसान द्वारा स्वंय अपने गन्ने से गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने में लगे हुये यन्त्र शक्ति द्वारा चालित कोल्हू तथा अन्य उपरकण उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं माने जावेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४१,

विपक्ष में—८९ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब उसको मैंने वोट के लिये पुट कर दिया तो वह अधिकार समाप्त हो जाता है । मैं चाहूंगा कि अब आप वोटिंग होने दें ।

श्री कमला सिंह यादव—

वोटिंग तो आप जब चाहें करा सकते हैं जब तक उसके बारे में आप कुछ बात न करे तब तक उस पर एतराज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । जिस वक्त श्रीमन, ने यह कहा कि खंड २ को विधेयक का अंग माना जाय, उसी मौके पर मैंने उसका विरोध कर दिया । इसलिये विरोध करने का जो समय था उसी समय मैंने उसका विरोध किया । यह चीज कंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो रही है, इसलिए मैं इस पर ऐतराज कर रहा था । यह भी हो सकता है कि गलती हो गयी हो लेकिन अगर आप मुनासिब समझते हों तो उसके लिये समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको पूर्ण अधिकार है किसी भी क्लाज का विरोध करने का, लेकिन इसको तो इस समय मैंने वोट के लिये पुट कर दिया । अगले क्लाज जब आयें तो आप जागरूक रहियेगा ।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मुझे बड़ा दुःख है कि मैंने आपके द्वारा माननीय नेता सदन से यह प्रार्थना की थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी तरह की जल्दबाजी न की जाय । राममूर्ति जी की आपके द्वारा टीका होने के बाद मैं आशा करता था कि गवर्नमेंट हमको एकोमोडेट करेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

इसका उत्तरदायित्व न सरकार का है और न किसी और का। विरोध करने का आपको अधिकार है, आपके उस अधिकार का खंडन नहीं किया जा रहा है, लेकिन महत्व की बात यह है कि आपने उस अधिकार का समय से उपयोग नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, इस संबंध में मेरा एक निवेदन है। हमें अब यह आशा नहीं रही है कि अपनी बात को हम इस सरकार को समझा सकें और समझा कर सरकार से उसकी राय बदलवा सकें। सरकार अपने बहुमत के बल पर इसको पास कराने में पूरा बल लगा कर रहेगी। हम अब बहुत थक गये और हमको अगर यह तनिक भी आशा होती कि हम सरकार से किसानों के लिये कुछ भी करा सकेंगे तो हम अवश्य ही उसको समझाने की चेष्टा और मेहनत करते, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बंशीधर जी ने फूलसिंह जी के प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया। जो सवालात हम लोगों ने उठाये थे उनके बारे में उन्होंने यह भी नहीं बताया कि यह परेशानी है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वे फैक्ट्री कब तक चलाना चाहते हैं। तो श्रीमन्, ऐसी हालत में आपका आदर करते हुये इस वक्त हम यह समझते हैं कि इस सदन का काम अकेले बहुमत पार्टी को चलाने दिया जाय और हम सब लोग यहां से बाहर हो जायं कि क्योंकि यह बिल मिल मालिकों की रक्षा के लिये है और हम अब इससे ज्यादा इसमें शामिल नहीं हो सकते।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, हम लोग भी यह आशा करते थे कि किसानों को क्रशर लगाने देने का जो सुझाव था उसे सरकार स्वीकार करेगी। यह मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों अपने आपको बिलकुल एक स्थान पर पत्थर के जैसे गाड़ कर खड़ा कर लिया और उन्होंने हम लोगों की बात स्वीकार नहीं की। तो मुझे दुख के साथ निवेदन करना है कि सरकार अपने बहुमत और बहुसंख्यक बल पर हर चीज करना चाहती है उसके विरोध स्वरूप और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध स्वरूप हम लोग आज सदन का परित्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जो विवादगन्ना क्रय-कर विधेयक पर परसों से चल रहा है उसे हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और मैं समझता हूं कि अगर सरकार उदारता का व्यवहार करती तो वह इस गन्ना क्रय-कर को नहीं लगाती, और इससे जनता को बड़ी राहत मिलती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सरकार ने जिस उदारता और बड़प्पन का परिचय किसानों पर चवन्नी लगान वापसी में तथा भारत सरकार पर यह जोर देकर कि गन्ने का दाम २रुपये मन कर जाय, दिया है, उसी प्रकार की उदारता और बड़प्पन की यहा भी अपेक्षा थी लेकिन यहां पर सर्वथा उसका अभाव दिखलायी पड़ा। इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस विवाद में हिस्सा लेने से कोई लाभ नहीं है। इन शब्दों के साथ हम और हमारी पार्टी सदन का परित्याग करती है।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रतापसिंह—

श्रीमन, मैं यह नहीं चाहता था कि यह स्थिति उत्पन्न हो, परन्तु कुछ ऐसा रवैया सरकार का है कि न तो वह हमारी बातों को ही स्वीकार करने के लिये तैयार है और न इसका कोई कारण ही बतलाती है। अभी परसों एक उधर के माननीय सदस्य ने इधर के बैठने वालों के लिये कहा था कि आप लोगों को संवैधानिक उपाय अपनाने चाहिये। आखिर हम कौन सा संवैधानिक उपाय अपनावें? हमनें अपनी तरफ से जो कुछ भी कहना संभव था कहा, हर तरह से समझाने

[श्री भानुप्रतापसिंह]

की कोशिश की, कई तर्क भी उपस्थित किये, लेकन वे एक को भी नहीं मानते हैं और न उनका उत्तर ही देते हैं। तो ऐसी हालत में मजबूर होकर ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो कानून को तोड़ने वाले रास्ते होते हैं। मैं नहीं समझता कि यहां बैठे रहने से कोई फायदा है। इसलिये मैं भी, अपनी पार्टी सहित इस सदन का परित्याग करता हूं।

(स्वतन्त्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

अनेक सदस्य—

ठीक है, चले जाइये, चले जाइये।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि अगर अपोजीशन के लोग सदन छोड़ कर बाहर आते हैं तो हमारे लिये यह दुख की बात है। ऐसे अवसर पर सदन में शांति रहनी चाहिये। इस पर कोई टिप्पणी न की जाय तो अच्छा होगा।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और मेरी पार्टी के लोग भी समझते हैं कि जिस प्रस्तुत विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं यह तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, दोनों को मिला कर सरकार इस प्रदेश के किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना चाहती है और चीनी मिल मालिकों के एकाधिकार को सुरक्षित रखना चाहती है तथा जल्दबाजी में इस बिल को पास करा लेना चाहती है। जैसे विरोधी दल के अन्य लोगों ने इसके विरोध में सदन का परित्याग किया है वैसे ही मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ इस सदन का परित्याग करता हूं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

खण्ड ३

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (ख) में शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर सोलह नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर पच्चीस नये पैसे" रख दिये जायं;

(ख) इस उपधारा के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई की दशा में वास्तविक रूप से क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर या, इकाई के स्वामी के विकल्प पर गन्ने की उस मात्रा पर जो उपधारा (१—क) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा क्रय की गयी समझी जाय, कर देय होगा।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारायें (१-क) और (१-ख) बढ़ा दी जायं :—

"(१-क) इकाइयों की पेराई की क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार गन्ने की ऐसी मात्रा नियत कर सकती है जो उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनों के लिये, विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों के स्वामियों द्वारा क्रय की गई समझी जायगी;"

"(१-ख) इकाई के स्वामी द्वारा उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट विकल्प का ऐसे दिनांक तक और ऐसे प्रपत्र में जो नियत किया जाय, प्रयोग किया जायगा और वह पूरे कर-निर्धारण वर्ष के लिये होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस वर्ष के लिये अपरिवर्तनीय (irrevocable) होगा;"

(३) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(५) इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, फैक्ट्री की दशा में गन्ना आयुक्त और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष, जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, और जिससे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करें, अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह कि कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ इस बात का संतोषजनक प्रमाण न हो कि अपीलकर्ता ने उसके द्वारा स्वीकार की गई देय धनराशि का भुगतान कर दिया है; "

(४) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (५-क) बढ़ा दी जाय :—

"(५-क) अपीलीय प्राधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपील में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और ऐसे आदेश की प्रति अपीलकर्ता, कर निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो नियत किया जाय;" और

(५) उपधारा (९) में, अंग्रेजी रुपान्तर में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ',Sub-section(5)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "Sub-section (4)" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

अब खंड ३ पर जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव थे, मैं उनके नाम एक एक करके पुकारता हूं। श्री कल्पनाथ सिंह, श्री मैनेजरसिंह, श्री कमलासिंह यादव, फिर श्री कमला सिंह यादव, श्री कल्पनाथसिंह, श्री मैनेजरसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

नई धारा ३-क तथा ३-ख का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ३-क और ३-ख बढ़ा दी जायं—

भूलसुधार

"(३-क) कोई कर-निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर, जो उस आदेश के दिनांक से जिसे ठीक करना हो, एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, ऐसी किसी भूल को सुधार सकता है जो यथास्थिति कर- निर्धारण या अपील में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई भूल-सुधार न किया जायगा।"

पुनरीक्षण

"(३-ख) फैक्ट्री की दशा में गन्ना आयुक्त, और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी; जो शक्कर आयुक्त द्वारा तदर्थ प्राधिकृत शक्कर उप आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिये, स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर जो आदेश के दिनांक छः मास के भीतर दिया जायगा, कर-निर्धारण की किन्हीं कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पक्ष की प्रेरणा पर ग्रहण नहीं किया जायगा जिसे अपील करने का अधिकार था, किन्तु जिसने उसका उपयोग नहीं किया :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कर में वृद्धि नहीं की जायगी जब तक कि करदाता को वृद्धि के विरुद्ध सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

धारा ४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) के अन्त के सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और इस उपधारा का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय;

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस देने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे दिनांक तक, व ऐसे प्रपत्र में तथा विलम्ब शुल्क के सहित, यदि कोई हो, ऐसे शुल्क के भुगतान के ऐसे प्रमाण के साथ दिया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) लाइसेंस देने या नवीकरण के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और सिवाय उस दशा के जब प्रार्थना-पत्र नियत दिनांक तक या नियत प्रपत्र में न दिया गया हो या किसी दशा में अपूर्ण हो या उसके साथ विलम्ब शुल्क सहित, यदि कोई हो, अपेक्षित शुल्क के भुगतान करने का प्रमाण न हो, या शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि लोक हित में

(१) लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में—

(क) इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने; अथवा

(ख) किसी क्षेत्र में इकाइयों को अलाभकर रूप में एकत्र न होने देने; अथवा

(ग) रक्षित क्षेत्रों में किसी फैक्ट्री को गन्ने के पर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने ;

(२) लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में—इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, अस्वीकृत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण करने के लिये प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते समय शक्कर आयुक्त निम्नलिखित पर भी विचार करेगा :

(क) प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, इकाई को, यदि कोई हो, चलाने में प्रार्थी का आचरण, जिसमें अधिनियम, व तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तों का, उल्लंघन करने के लिये पूर्व दोष सिद्धि भी यदि कोई हो, सम्मिलित है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन देयों का भुगतान करने में प्रार्थी द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो; और

(ग) वह कुल सतत अवधि जिसके लिये प्रार्थी के पास, प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, लाइसेंस रहा हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने तक या

(१) लाइसेंस दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में ऐसे प्रार्थना-पत्र से तीन माह के भीतर, और

(२) लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में ऐसे प्रार्थना-पत्र से दो माह के भीतर,

इसमें जो भी पश्चाद्वर्ती हो, निस्तारित न किया जाय तो लाइसेंस, यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया समझा जायगा।"

(४) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें (३-क) और (३-ख) बढ़ा दी जायं :—

"(३-क) शक्कर आयुक्त उपधारा (३) के अधीन प्राप्त सभी या किसी अधिकार को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, प्रतिनिहित कर सकता है।

(३-ख) राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में, किसी क्षेत्र में फैक्टरियों को गन्ने का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में किसी इकाई को नया लाइसेंस नहीं दिया जायगा और जब ऐसा निदेश जारी कर दिया जाय तो उस क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा" ; और

(५) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(६) यदि लाइसेंस गृहीता उसे दिये गये लाइसेंस को, उसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर लौटा दे और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसने किसी भी रीति से उसका उपयोग नहीं किया है तो वह जमा किये गये लाइसेंस शुल्क का तीन-चौथाई वापस पाने का हकदार होगा।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६-८

धारा ५ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"५—इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जायं और उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस, यथास्थिति, लाइसेंस दिये जाने या नवीकृत किये जाने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा।"

धारा ६ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"६—(१) शक्कर आयुक्त, किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे वह अधिनियम के अधीन करने के लिये प्राधिकृत हो, किसी लाइसेंस को रद्द या निलम्बित कर सकता है, यदि लाइसेंस गृहीता ने—

(क) लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के संबंध में त्रुटिपूर्ण सूचना दी हो या सारवान् तथ्यों को छिपाया हो ;

(ख) ऐसा लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के संबंध में कोई कपट या मिथ्या निरूपण किया हो ; या

(ग) अपने लाइसेंस की किसी शर्त या अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर आयुक्त लाइसेंस रद्द या निलम्बित करने का कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेंस गृहीता को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।"

धारा ७ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्टरी या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री (data) या सूचना रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जो नियत की जाय ; और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने की सम्भावना है तो,

(१) किसी फैक्टरी या इकाई के भू-मुहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तालाशी ले सकता है ।

(२) गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे निर्मित की जाने वाली किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन या संबद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है, यदि उसे ऐसी जब्ती अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लघंन करने के साक्ष्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रतीत हो ; और

(३) इकाई पर अथवा यदि इकाई बिना लाइसेंस के चलाई जा रही हो तो गुड़ या राब बनाने की किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त अभिकरणों पर, नियत रीति से मुहर लगा सकता है, और इस प्रकार मुहर लगाई गई इकाई या अभिकरण किसी व्यक्ति द्वारा तब तक प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि मुहर विधिवत् हटा न दी गई हो ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९

धारा ८ का प्रतिस्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"८—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, या जानबूझ कर किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, मिथ्या कथन करता है

या मिथ्यापूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उससे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या लाइसेंस की शर्तों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की जाय तो वह, सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर धारा ३ के अधीन यथास्थिति, ब्याज या अर्थ-दंड अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, किसी भी प्रकार के कारावास के दंड से दन्डित होगा, जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड से दन्डित होगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दन्डित होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जब सिद्ध-दोष ठहराये जाने के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये तक हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी इकाई को चलाने के लिये, न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराते समय, विशेष या पर्याप्त कारणों के, जो उल्लिखित किये जायेंगे, न होने पर अर्थ-दंड सहित या बिना अर्थ-दंड के कारावास का दंड देगा ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

धारा ९ का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"९—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में फैक्टरी स्थित हो या उनमें से किसी के प्राधिकार के अन्तर्गत हो, और इकाई की दशा में या उनमें से किसी शक्कर आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में इकाई स्थित हो, ऐसा लिखित प्रतिवेदन न दिया जाय जिसमें ऐसे अपराध के तथ्य दिये हों ।

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन संज्ञेय और जमानत योग्य होगा ।

(४) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये, दोषारोपित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, फैक्टरी की दशा में, गन्ना आयुक्त या, गन्ना आयुक्त की सहमति से, संबंध जिला मैजिस्ट्रेट, और, इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या, शक्कर आयुक्त की सहमति से, संबंध जिला मैजिस्ट्रेट, ऐसा अभिसंधान-शुल्क (Composition fee) आरोपित करके, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा, किसी भी स्थिति में उक्त अपराध का अभिसंधान (Compound) कर सकता है ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिये विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले ही इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय सारी बातें बता दी थीं, इस वक्त मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता । मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

यह एक छोटा सा विधेयक है और इस की आवश्यकता इस लिये हुई कि अभीतक गन्ने की परिभाषा उस की खरीद तथा पूर्ति और विनियमन के संबंध में केवल फैक्टरीज तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब चूंकि अन्य इकाईयों पर भी क्रय की व्यवस्था को विनियमित करना है इस लिये इस बात की जरूरत हुई । इसके अलावा धारा १० जो मूल ऐक्ट की है उस में थोड़ा सा संशोधन है कि गन्ना कमिश्नर को उस के काम में सहायता देने के लिये सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट करे । इस के अतिरिक्त मूल ऐक्ट की धारा १६ में भी एक संशोधन है जिस के द्वारा उस में फैक्टरी, इकाई

*१८ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

तथा व्यक्ति तीनों का समावेश किया गया है। धारा १७ में यह है कि जो फैक्ट्री के लोग गन्ना खरीदते हैं उसका शीघ्र भुगतान कैसे किया जा सके इसके लिये प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार जैसा नियत करे उस प्रकार उनको शीघ्र से शीघ्र गन्ने की कीमत अदा करने की व्यवस्था हो। यह बातें इसमें हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार कर इसे पारित करेगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है। मैं जानता नहीं इस बिल पर उस बिल के साथ जो अभी पास हुआ है विचार भी हुआ या नहीं। अभी जो बिल पास किया है उसमें हमने यूनिट की परिभाषा की है कि वह इकाइयां जो रिजर्व्ड एरिया में हों। और इसमें यूनिट की परिभाषा में है जो रिजर्व्ड एरिया में और ऐसाइन्ड एरिया में हों। एक ही शब्द की दो डेफीनीशन्स हो जायेंगी। कौन सी सही होगी मैं नहीं जानता। जितने कानून किसान के संबंध में हैं उनमें तीन प्रतिबन्ध हैं। एक तो लाइसेंस का, दूसरा परचेज टैक्स का और तीसरा गन्ने की सप्लाई का। जो पहला बिल पास हुआ है वह बहुत छोटा सा था, क्योंकि उसका संबंध महज लाइसेंस और परचेज टैक्स से था। लाइसेंस की पैसे की बात है, परचेज टैक्स वह देता है जो गन्ना खरीदता है, लेकिन इस बिल में किसान अगर अपना केन क्रशर लगा ले तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कैसे काम चलेगा? एक ही बात नहीं है। गन्ने की परिभाषा बदल दी है। अभी तक यह थी कि जो गन्ना फैक्ट्री को सप्लाई किया जाय। अब एक शब्द मिला कर कि जो गन्ना फैक्ट्रीज, गुड़, खांडसारी यूनिट्स को सलाई किया जाय वह सब गन्ने की परिभाषा में आ गया। मैं नहीं जानता कि सरकार के पास मशीनरी है जो बता सके कि कितनी यूनिट्स हैं, कितनी राब बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उन सब को सप्लाई करने का क्या अरेन्जमेंट करेगी यह बातें सोची भी कि नहीं।

दो शब्द हैं रिजर्व्ड एरिया और ऐसाइन्ड एरिया। रिजर्व्ड एरिया का सारा का सारा गन्ना मिलों को लेना होगा, सरकार इंतजाम कर देगी। ऐसाइन्ड एरिया बफर स्टेट है जब सरकार को जरूरत पड़ेगी जितना गन्ना चाहे उसमें से फैक्ट्रीज को दे देगी। अब ऐसाइन्ड एरिया को शामिल करने के माने यह हो गये कि सरकार की जिम्मेदारी यही नहीं है कि सब गन्ना फैक्ट्रीज को दे। मगर यह जिम्मेदारी हो जायगी कि क्रशर लगाने दे या न लगाने दे। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये। खेद है कि विरोधी दल नहीं है, लेकिन उससे हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है। इस बिल में एक और क्लाज है कि फैक्ट्री से वसूलयाबी करने के लिये गन्ने की कीमत के लिये मुनासिब कदम उठाये जायंगे। किसान पर तो सख्ती हो डी० आई० आर० में और मिल वालों के लिये मुनासिब कदम उठाने की बात है। इन पर क्यों नहीं सख्ती की जाय। जिस क्लाज में संशोधन है मेन ऐक्ट में लिखा है कि गन्ने के दाम १५ दिन के अन्दर फैक्ट्री को देने होंगे और अगर नहीं देगी तो उस पर सूद लगेगा और उसमें यह भी क्लाज है कि केन कमिश्नर को अधिकार है कि इस क्लाज को वह सस्पेंड कर दे। तो उन सब के होते हुये यह क्लाज बढ़ाना क्या यूजफुल होगा? कोई कानून तो सब पर बराबर लागू होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि फ़ैक्ट्री के साथ रियायत हो और किसान का गला घोंटा जाय यह उचित होगा।

कंट्रोल बोर्ड वाली बात पर मुझे ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि किसी को रखें। मगर इतनी बात सोचने लायक है कि शुगर कंट्रोल बोर्ड जो है वह गन्ने से सम्बन्धित है, लेकिन गन्ने के सम्बन्ध के केवल यह माने नहीं है कि आप को गन्ने के बेचने की फिक्र हो सिर्फ उस के पैदावार की फिक्र न हो, आप को उसके पैदावार की उन्नति और फिक्र भी करनी चाहिये। इस कंट्रोल बोर्ड में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होंगे, केन मिनिस्टर होंगे, लेकिन केन रिसर्च का जो महकमा है जो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के मातहत है उसके मिनिस्टर को रखने की आवश्यकता नहीं समझी

गयी है। इसके माने यह स्पष्ट हैं कि आप को गन्ने की पैदावार की फिक्र नहीं है सिर्फ गन्ने के बेचने में दिलचस्पी है। तो मैं चाहता हूं कि इस छोटे से ऐक्ट में कोई संशोधन नहीं हैं और विरोधी दल के लोग भी नहीं हैं जो संशोधन के लिये आप से कुछ कहें तो मैं कहूंगा कि चाहे यह ऐक्ट कितना ही छोटा क्यों न हो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

तो क्या आप कोई सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री फूलसिंह—

नहीं।

*विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, कुछ थोड़ा सा भ्रम हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप यह स्पष्ट कर दें कि आप इसको इसी वक्त विचार करके पास करने के पक्ष में हैं या सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सेलेक्ट कमेटी की तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं कह दूंगा तो स्पष्ट हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

तो कदाचित् उससे वह संतुष्ट हो जायं। ठीक है।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है। ठीक है, चलिये, आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय फूलसिंह जी ने जो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है उस पर विचार किया जाय। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर इस फूलसिंह जी वाली बात को यह सरकार स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य होते हुये भी हम बिल की बहस में हिस्सा नहीं लेंगे और बाहर जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

शान्तिप्रपन्न जी कुछ स्पष्ट कर रहे हैं आप पहले उसे सुन लें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले तो प्रवर समिति का ठाकुर साहब ने कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा है मगर फिर भी मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं तो शायद वे अपनी चीज को वापस ले लें, क्योंकि यहां अब गन्ने को, जो क्रशर्स हैं उनको देने की भी बात मान ली गयी है। अगर उस परिभाषा में लाते नहीं तो कौन सा गन्ना हो, जिसके लिये बाध्य कर सकेंगे कि वह लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

एक बात यहां बराबर कही गयी कि जो काश्तकार अपने आप कोल्हू लगाना चाहते हैं हम उन पर भी रोकथाम लगाना चाहते हैं, लेकिन जो कोल्हू चलते रहे हैं और जो मेकैनिकल पावर क्रशर्स नहीं हैं उन पर कोई रोकथाम नहीं है। जो पावर क्रशर्स हैं वे भी जो पारसाल तक चलते रहे वे इस साल भी चलते रहेंगे और कुछ थोड़ा सा हमने उस में रिलैक्सेशन भी कर दिया है कि २ वर्ष पहले तक जो चलते रहे हैं उन को चलने दिया जायगा। इसके अलावा जो असाइन्ड एरियाज से बाहर हैं और गुड़ बनाते हैं उन पर भी कोई रोकथाम नहीं है। सिर्फ उन को इजाजत लेनी पड़ती है। मेरे पास, मेरे जेब में इस वक्त भी, बहुत सी दरख्वास्तें हैं जहां पर काश्तकारों ने कहा है कि हमारा गन्ना मिलों को दिलवाया जाय। लखीमपुर वालों ने तो यहां तक कहा कि साहब आप मिलों को मजबूर करें कि वह हमारा गन्ना लें और अगर वह नहीं लेंगे तो हमारे गन्ने की खपत कहां होगी।

दूसरे, क्लाज नियम का जो हमने रखा है वह इसलिये रखा है कि हम फैक्टरियों को मजबर कर सकें कि वे १५ दिन के अन्दर उन का गन्ना ले लें। इसके अतिरिक्त हम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भी लिख रहे हैं कि वे अन्डर डी० आई० आर० ऐसा नियम बनावें। इसके बाद भी इस चीज की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इन तमाम नियमों के बावजूद भी दिक्कतें पैदा होती हैं और हमने यह सोचा कि हम ऐसे नियम बनायें कि जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा कि मिल वालों से वह एक चिट्ठी ले लें कि जो चीनी बनेगी उसके बदले में जो बैंक से वे रुपया लेते हैं उसका एक पोर्शन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ले ले और गन्ने के दाम के रूप में वितरित कर दें। यह नियम हम बनाना चाहते हैं। अभी तक हमने मिलमालिकों से मिल कर किया। बाद में हम ऐसा करना चाहते हैं कि चीनी के बोर्ड को गन्ने का दाम सीधे दिला दें। इसलिये हमने यह रखा है और जो नियम बनेंगे वह आप की सलाह से बन कर हाउस के सामने आयें और मैं समझता हूं कि हाउस उन्हें स्वीकार करेगा।

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो गयी है। इसमें काश्तकार को कोई नुक्सान होने वाली बात नहीं है। इसमें तीन चीजें हैं। एक गन्ने की परिभाषा, दूसरे हमारा काम बढ़ गया इसलिये केन कमिश्नर को यह अधिकार दे दिया कि वह अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सके। एक बोर्ड था। इससे पहले उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हुआ करते थे। अब चूंकि केन डेवलपमेंट मिनिस्टर अलग हो गये हैं इसलिये उनका नाम यहां रख दिया। तीसरे दाम दिलाने की बात है। तो इस विधेयक में तो हमने काश्तकार के फायदे की चीज रखी है, कोई नुक्सान की चीज नहीं रखी है।

एक बात आपने एसाइन वाली कही। हम आपके कहने से उस विधेयक में यह मान गये कि एसाइन का शब्द निकाल दिया जाय। इस विधेयक को हम कौंसिल से पास करा के लाये हैं। अगर आज हम इस चीज को मान गये तो फिर हमको कौंसिल में जाना पड़ेगा। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी एरिया से गन्ने को जबर्दस्ती ले लें और उसके पेरने की जिम्मेदारी न लें। जैसा मैंने वहां कहा था कि चूंकि इस साल बहुत-सा रिजर्व्ड एरिया है, अगले साल जब कभी भी एसाइन्ड एरिया अलग होगा डी० आई० आर० के मातहत तो जैसा हमने वहां मान लिया है उस को मान लेंगे और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी इतना मैं हाउस में आश्वासन दे सकता हूं।

मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब इस पर गौर करेंगे कि कौंसिल में फिर ले जाना ठीक नहीं होगा और जैसा यह विधेयक है इसे ऐसा ही पास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ठाकुर साहब, इस स्पष्टीकरण के बाद आप क्या चाहते हैं?

श्री फूलसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शान्तिप्रपन्न जी ने जो कहा मैंने उस को बहुत गौर से सुना पर मुझे खेद है कि उन्होंने जितनी बातें कहीं उनमें से एक बात भी ऐक्ट के मुताल्लिक नहीं कही। इसमें कोई लाइसेंस का सवाल नहीं है। यह कहना कि लाइसेन्स उनको दे रहे हैं यह बिल्कुल असंगत बात है। इसमें पर्चेज टैक्स का भी सवाल नहीं है। इसमें सवाल यह है कि जो यूनिट्स हैं उनके गन्ने का इन्तजाम गवर्नमेन्ट करेगी और उसमें वह यूनिट्स भी आ जाती हैं जो किसान ने अपना गन्ना पेरने के लिये लगाया है। तो उनके गन्ने का इन्तजाम भी गवर्नमेन्ट की मारफत होगा। यह सीधी बात है।

एक सेक्शन और है। जहां एडीशनल शुगर कमिश्नर एप्वाइंट करने का अधिकार लिया है वहां पहले "any officer" था और अब है "any person"। यह बड़ी सीरियस बात है। इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यह कहना कि यह अपर हाउस में ले जाना पड़ेगा, भले आदमियों का तरीका तो यह है कि अगर चींटी को मरने से बचा सकें तो थोड़ा घूम कर चले जायं। अपर हाउस में जाना पड़ेगा यह क्या बात हुई? क्यों आपने वहां पास किया?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया यह स्पष्ट करें कि आपने जो सांकेतिक प्रस्ताव किया था.....

श्री फूलसिंह—

असल में प्रस्ताव मैंने नहीं किया था। मैं तो समझता हूं कि प्रस्ताव देने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही गवर्नमेण्ट की भी जिम्मेदारी है।

श्री अधिष्ठाता—

डिस्कशन तो इस तरह से होगा नहीं। आप प्रस्ताव कर सकते हैं सेलेक्ट कमेटी का पोस्टपोनमेंट का। यद्यपि उसकी पहले से नोटिस नहीं है, लेकिन वह मेरे विचार की बात है कि इस स्थिति में उसको नियमित करार दे सकता हूं। इन दोनों पोजीशन्स में से आप एक को ले सकते हैं।

श्री फूलसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं उसी में कुछ कहने वाला था, मुझे देर हो गयी। जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि जो पहले वाला बिल पास किया उसमें एसाइन्ड एरिया को हमने निकाल दिया...

श्री अधिष्ठाता—

यहां पर कुछ नियम हैं और उन नियमों के अन्तर्गत ही डिस्कशन हो सकता है। आप क्या चाहते हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं ठाकुर साहब से यह पूछना चाहता था....

श्री अधिष्ठाता—

पूछने की कोई बात नहीं है।

*श्री शिवसम्पति शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय फूलसिंह के प्रस्तावों का समर्थन करते हुये इस सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहला बिल जो पास हो गया है उसके विपरीत दूसरा बिल जाता है और हम लोग भी यह महसूस करते हैं कि किसानों के हित में भी कुछ बात रखनी चाहिये, बिल्कुल ही ऐसा न हो कि विरोधी पार्टियों को यह कहने का मौका मिल जाय कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट बहुमत में बैठ कर कोई भी बात किसानों के हित की नहीं करती है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पुनः यह निवेदन करूंगा कि वे माननीय फूल सिंह की बात मान लें, कोई हर्ज नहीं है। पहला विधेयक हम पास कर ही चुके हैं. दूसरे को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें। इस पर पार्टी में भी विचार कर लिया जाय और फिर पेश किया जाय जिसमें हम सब लोगों का इसे समर्थन प्राप्त हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई ज्यादा वाद-विवाद की बात मैं समझता नहीं। केवल इकाई की परिभाषा भिन्न है। एक चीज साफ है कि जो अभी हमने विधेयक पास किया उसमें इकाई की एक परिभाषा मानी। सेलेक्ट कमेटी में उसमें सभी लोगों ने इत्तफाक किया, मुख्य मंत्री ने इत्तफाक किया और मैं आज भी समझता हूं कि उन को कोई आपत्ति नहीं है। एक ही दलील दी गयी कि कौंसिल से चूंकि पास हो गया है इसलिये उन को यह परेशानी महसूस होती है कि यहां अमेंडमेंट मान लेने के बाद दोबारा फिर कौंसिल में जाना पड़ेगा। यह संसदीय परम्परा की बात है, ऐसा होता चला आया है। मैं समझता हूं कि यह कोई दलील नहीं है। यह भी बात सही नहीं होगी कि दो विधेयक एक घंटे के अन्दर पास हों और इकाइयों की दो परिभाषायें हों। इसमें कोई बहुत बड़ा क्रेडिट न तो जुडिशल डिपार्टमेन्ट को मिलने वाला है और न इस सरकार को नीति को ही मिलने वाला है। तो मैं मुख्य मंत्री से यह दरख्वास्त करूंगा और वे इत्तफाक भी करती है कि जो परिभाषा इकाई की वहां है उस को यहां भी मान लें।

पेमेंट के बारे में यह बात सही है कि शान्ति भाई ने पहले भी आश्वासन दिया और सरकार की यह कोशिश भी है कि किसानों को पेमेंट बात पर मिलना चाहिये। मैंने पिछली दफा भी इस बात पर जोर दिया था कि डी० आई० आर० के अन्दर यह बातें जोड़ दी जायं कि अगर मिल मालिक समय के अन्दर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका डी० आई० आर० के अन्दर प्रासिक्यूशन होगा।

हमने अन्डर-वेट की बात भी कही थी कि अगर किसी मिल मालिक की तौल पर यह देखा जायगा कि गन्ना कम तौला जाता है तो उसका भी प्रासीक्यूशन डी० आई० आर० में होगा। माननीय मंत्री जी ने उस दिन इस बात को माना था और शायद उन्होंने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है। मैं चाहता हूं कि वह अब भी इस बात का आश्वासन दे दें कि डी० आई० आर० में उनका भी प्रासीक्यूसन होगा तो उचित होगा।

माननीय ठाकुर साहब ने एक बात और कही कि जो कंट्रोल बोर्ड होगा उसमें ऐसी भावना है कि उसमें कृषि मंत्री को होना चाहिये। यह ठीक है। यह बात दूसरी है कि केन डेवलपमेंट का दूसरा मंत्री बना दें। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री को अख्तियार है, लेकिन केन डेवलपमेंट और ऐग्रीकल्चर दोनों का साथ है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। मगर कंट्रोल बोर्ड में ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी शामिल कर दिया जाय। यही दो तीन छोटे छोटे प्वाइंट्स हैं। उसको वह मान लें और उसके बाद यह विधेयक आसानी से पास हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ,खास तौर से जब अपोजीशन सदन में नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है कि सब हितों का संरक्षण हो जाय। अगर कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो बावजूद इस बात के कि फार्मल नोटिस नहीं है मैं उस को इस स्थिति में स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन केवल सुझाव या परामर्श से हो सकता है यह किसी इनफार्मल मीटिंग में हो सकता है, यहां पर विधिवत् संशोधन ही आ सकते हैं। अगर किसी बात पर माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो मेरे पास लिख कर भेज दें। तो मैं रख सकता हूं। अगर संशोधन नहीं आयेंगे तो मेरा एक ही प्रोसीजर रहेगा कि पहले ठाकुर साहब से पूछ कर अगर वह सेलेक्ट कमेटी की बात कहना चाहेंगे तो उस पर वोटिंग होगी। उसके बाद खंडशः लूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जैसा नवल किशोर जी ने कहा इसकी परिभाषा में जो बिल पेश किया गया है उसमें अभ्यर्पित क्षेत्र निकाल दिया गया है मैं तैयार हूं उनके सुझाव को स्वीकार करने के लिए इस बिल से भी अभ्यर्पित शब्द निकाल दिया जाय।

श्री फूलसिंह—

जरा दोहरा दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं बताता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि एसाइन्ड एरिया निकालने का जो सुझाव है उसको वह मानने के लिये तैयार हैं, अगर कोई संशोधन आये, यही विधिवत् तरीका हो सकता है :

श्री नवलकिशोर—

मैं लिख कर दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं ठाकुर फूलसिंह से जानना चाहता हूं कि इन बातों के प्रकाश में सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को जो मौखिक प्रस्तुत किया था वापस लेना चाहेंगे ?

श्री फूलसिंह—

मैं बहुत मशकूर हूं माननीय मंत्री जी का। उन्होंने एक बात को मान लिया, लेकिन एक बात पर और विचार कर लें। अगर यूनिट का डेफिनीशन और फैक्टरी का उसमें रहे तो उसके मानी यह होंगे कि सब को केन सप्लाई होना चाहिये। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इन यूनिटों को गन्ना सप्लाई करना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में उसको भी निकाल दें। ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात मैंने आपकी सुविधा के लिए कही थी, मुझे उसमें खास दिलचस्पी नहीं है।

एक बात मैंने और कही थी। जहां शुगर कमिश्नर ऐडीशनल कमिश्नर वाली बात है अफिसर को अप्वाइंट करें। वह करना चाहिए। "एनी परसन" डिलीट कर देना चाहिये। एक प्राइस वाली बात है। हमारे नवलकिशोर जी ने भी चर्चा की। उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिये सरकार को। प्राइस की वसूलियाबी के जो कायदे हैं उसमें फैक्टरी वालों को उसी लेविल पर ले आइये जिस पर किसान है। वरना आपको यह कहेंगे कि आपने ऐसा कानून बनाया कि खांडसारी और शुगर जो बनाता है उसकी कहीं कोई पकड़ नहीं, लेकिन

[श्री फूलसिंह]

गन्ना बेचने वाला अगर रस पेर कर गुड़ बनाये तो उसकी मौत है। कानून को देखना चाहिये, यों पास करना ठीक नहीं होगा।

श्री अधिठाता—

मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। एक ही तरीका है आगे चलने का। सरकार को जो बिल लाना था ले आयी। मानने का कोई सवाल है नहीं। अगर कोई संशोधन आप चाहें लाना आपस में बात करके तो उनकी अनुमति ले लें, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो वह संशोधन मेरे पास आ जाय।

श्री नवलकिशोर —

मान्यवर, मैंने संशोधन आपके पास भेज दिया।

श्री अधिष्ठाता —

तो मैं यह समझूं और यह तभी आगे चल सकेगा जब कि माननीय ठाकुर फूलसिंह जी अपना सेलेक्ट कमेटी वाला प्रस्ताव वापस ले लें ? (व्यवधान) किसी कंडीशन पर तो वापस होता नहीं ....

श्री फूलसिंह—

अगर मेरी बात मान ली जाय तो मुझे कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आप देख लें। तो मैं यह समझता हूं कि आपने-अपना संशोधन वापस ले लिया।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

मैं लिखित संशोधन आपके पास भेज रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री फूलसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या यह सम्भव नहीं है कि थोड़ी देर के लिये सदन मुल्तवी कर दें और आपस में बात हो जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय फूलसिंह जी यह चाहते हैं कि दस मिनट के लिये हाउस ऐडजर्न हो जाय, इसलिये कि जो अमेंडमेंट हैं उन पर आपस में बात हो जाय।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

ऐडजर्नमेंट की क्या जरूरत है ? वह अमेंडमेंट तो बन कर के आपके पास आ ही रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अगर कोई एक भी इसका प्रयोजीशन करता है तो मैं मुल्तवी नहीं कर सकता ।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

दस मिनट के लिये ऐडजर्न कर दिया जाय । हम लोग दस मिनट में आपस में बात कर लेंगे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं समझती हूं कि ऐडजर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २ का संशोधन ।

(१) खंड (ग) में शब्द "फैक्टरी" और शब्द "में प्रयोग के लिये" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" बढ़ा दिये जायें ;

(२) खंड (ञ-१) में शब्द "सुरक्षित" और शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "अथवा अभ्यर्पित" बढ़ा दिये जायें ;

(३) खंड (ङ) १७ अक्तूबर, १९६३ से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा और प्रतिस्थापित किया गया समझा जायगा ;

"(ङ) "सुरक्षित क्षेत्र" का तात्पर्य डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के नियम १२५-बी के अधीन गन्ना क्षेत्रों के सुरक्षण के लिये दी गई आज्ञा के अधीन किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र से है और जब ऐसी कोई आज्ञा प्रचलित न हो, तो धारा १५ के अधीन दी गई निर्दिष्ट आज्ञा में क्षेत्र से है ;

(४) खंड (थ) में शब्द "नियुक्त हो" और तत्पश्चात् आये हुये पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसमें धारा १० के अधीन नियुक्त अतिरिक्त चीनी कमिश्नर भी सम्मिलित है" बढ़ा दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय नवलकिशोर जी अपना संशोधन पेश कर दें ।

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं यह जानना चाहूंगा कि खंड २ में और कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन तो नहीं भेज रहे हैं ? यह मैं थोड़ा नियम से हट कर इस लिये कह रहा हूं, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति है ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को भी इसमें आसानी होती यदि पहले से इन अमेंडमेंट का कोई नोटिस होता और यह कोई मान्य प्रणाली भी नहीं है । अच्छा तो यह होता कि माननीय सदस्य जो इस वक्त में संशोधन दे रहे हैं उन्होंने पहले एजेंडे को देखा होता, उनका यह कर्त्तव्य था कि वह अपना संशोधन पहले देते । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय नवल किशोर जी के इस संशोधन को मान लेने के बाद और संशोधन न लिया जाय । वरना तो कोई नियम और प्रक्रिया रहेगी नहीं । दस मिनट के लिए असेम्बली स्थगित कर दी जाय, यह कोई इस हाउस की डिगनिटी की बात नहीं है । इसलिए इसमें जब कोई और संशोधन नहीं दिया गया है तो फिर बार-बार ओरल सजेशन देना यह कोई माने नहीं रखता । उसके लिए तो काफी अवसर मौजूद था । यह बिल कौंसिल को गया था और उसके बाद एजेंडे पर था । तो माननीय सदस्यों ने बिल को पढ़ा तो उनका कर्त्तव्य था कि वह संशोधन पहले ही देते । इसलिए इस वक्त में तो मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि किसी संशोधन को लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बनारसीदास जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है मैं उससे सहमत नहीं हूं । मैं यह समझता हूं कि जो विशेष परिस्थिति आज सदन में है उसमें मेरा यह कर्त्तव्य और अधिकार दोनों है कि मैं अगर कोई इस समय भी तत्काल संशोधन दे तो उसको इन्टरटेन करूं इसलिये कि माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि कदाचित् हाउस का मूड पहले विधेयक को ही डिस्कस करने का था और यह विधेयक आ ही न पाता । इसलिये मैं उनको इस अधिकार से वंचित नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई इसमें संशोधन नहीं है, तो ठीक है ।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) उद्योग के प्रभारी मंत्री;

(कक) गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री"

(२) उपधारा (३) में शब्द "कृषि मंत्री" के स्थान पर शब्द "गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री" रख दिये जायं ।

श्री फूलसिंह—

खंड ३ के आइटम नम्बर ३ में "गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री" यह क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें और कुछ नहीं है । केवल कृषि मंत्री के स्थान पर गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १० का संशोधन

"१०—राज्य सरकार किसी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर या अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोदिष्ट कर सकती है।"

श्री फूलसिंह—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० की पंक्ति १ में से शब्द "किसी व्यक्ति य।" निकाल दिये जायं।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो उन व्यक्तियों को ही क्वालिफाइ करता है जिनको हम अधिकार देने की बात करते हैं। ये व्यक्ति गन्ना कमिश्नर, उप गन्ना कमिश्नर, अथवा सहायक कमिश्नर होंगे। उनके लिये किसी व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इन व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायगा और अन्य आदमी को हम करने वाले नहीं हैं। किसी व्यक्ति का तात्पर्य और किसी व्यक्ति से नहीं है। उनसे ही मतलब है जो अधिकारी होंगे। यह उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका मतलब सरकारी अधिकारी से है?

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य सरकार इन व्यक्तियों को विशेष परिस्थिति में अधिकार देने की बात करेगी। फिलहाल किसी को करने वाली नहीं है। यही हमने उद्देश्य और कारण में लिखा है।

श्री फूल सिंह—

यह संशोधन कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिससे किसान का बड़ा अहित होता है। किसी व्यक्ति से मतलब यह है कि सरकार किसी ऐरे गैरे व्यक्ति को भी बना सकती है जो मुनासिब नहीं है। जब किसी अधिकारी को ही बनाने का मकसद है तो "किसी अधिकारी" ही शब्द रहना चाहिये। अगर वह मेरी बात को नहीं मानते हैं तो कोई खास बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन सरकार की ओर से अभी आश्वासन दिया गया कि उनका मंशा किसी आदमी को रखने का नहीं है, बल्कि किसी आफिसर को रखने का है। इस शक्ल में क्या आप इसे वापस लेते हैं?

श्री फूलसिंह—

जी, बहुत अच्छा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १६ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है:—

"(१) उस फैक्टरी से जिसके लिए क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्टरी, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई अथवा किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की खरीद,

(२) उस फैक्टरी से जिसके लिए क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्टरी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई अथवा किसी व्यक्ति के हाथ किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री,"

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास इसमें कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) फैक्टरी का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय ।"

श्री अधिष्ठाता—

इसमें भी मेरे पास कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के सत्रावसान सम्बन्धी सूचना

श्री अधिष्ठाता—

अब मुझे आपको एक सूचना देनी है। माननीय राज्यपाल द्वारा यह सूचना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड २ के उप खंड (ख) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान उसके दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ के उपवेशन की समाप्ति से करते हैं।

सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

एक दूसरी सूचना इस प्रकार है। संख्या ७५६२ (१) १७/३६७/६३ भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड १ के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा को ३ फरवरी, १९६४ ई० को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६४ ई० के प्रथम सत्र के लिये आहूत करते हैं।

अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन ३ बज कर १९ मिनट पर सोमवार, ३ फरवरी, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२६ दिसम्बर, १९६३।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८९ एल० ए०—१९६४—८६०।